खण्ड–38, अंक–04
गुरूवार, 17 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनांक 06 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल के विरूद्ध दर्ज मुकदमा वापिस लिये जाने विषयक नियम–310 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–24
नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल के विरूद्ध दर्ज मुकदमा वापिस लिये जाने विषयक नियम–310 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)	24–30
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	30
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में स्वीकृत वसटोला–धमान्दा मोटर मार्ग का अभी तक निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30–31
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इण्टर कॉलेज क्वैराली को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों सहित सवित्त मान्यता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
प्रदेश में विगत 16 जून, 2013 को आई भीषण दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त जनपद हरिद्वार अन्तर्गत भोगपुर–बालावाली तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण कार्य अभी तक न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद पिथौरागढ में प्रा0 वि0 सिंगाली के जर्जर भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	32
संविधान के अनुच्छेद–174 तथा उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–4 के नियम–14 का पालन न किये जाने पर सभा के उपवेशन की व्यवस्था पर श्री मदन कौशिक,सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	32–33

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम ढाकोवाली रोड से ग्राम सुद्धोवाला को जाने वाले रास्ते पर देड़ नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	33
जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम पोड़वाला, राजावाला, भगवानपुर, भारतपुर, भाऊवाला अटकफार्म तेलपुरा के कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	33
जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा कण्डौली के ग्राम पालावाली व लोअर कण्डौली में आवागमन हेतु गुलाटा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)...	33–34
जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा शंकरपुर की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–2 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	34
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के बाडी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	34
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–4 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	35
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–1 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	35
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–3 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	35
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के स्वानी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	36–37

विषय	पृष्ठ–संख्या
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	37–41
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	41–60
नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट वर्ष 2014 को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत वित्त मंत्री का गजट नोटिफिकेशन जारी न होने विषयक प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास	60–61
वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	61–92
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	92
विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में ग्राम रीठा से ग्राम टॉण तक सड़क निर्माण हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित जनता को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	93
विधान सभा क्षेत्र–भीमताल के विकास खण्ड धारी के ग्राम धानाचूली में विगत कई वर्षों से लिफ्ट पेयजल योजना की मांग के उपरान्त भी पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।	93–94
नत्थी	95–96

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
64–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री फुरकान अहमद
29–श्री बंशीधर भगत
30–श्री भीमलाल आर्य
31–श्री मदन कौशिक
32–श्री मदन सिंह बिष्ट
33–श्री मनोज तिवारी
34–श्री मयूख सिंह
35–श्री महावीर सिंह
36–श्री माल चन्द
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
41–श्री राजकुमार
42–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
43–श्री राजेश शुक्ला
44–श्री ललित फर्स्वाण
45–श्री विक्रम सिंह नेगी
46–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
47–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48–श्री विशन सिंह चुफाल
49–श्रीमती शैला रानी रावत
50–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51–श्री संजय गुप्ता
52–श्री सरवत करीम अंसारी
53–श्रीमती सरिता आर्या
54–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
55–श्री सुबोध उनियाल
56–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59–श्री सुरेन्द्र राकेश
60–श्री हरक सिंह रावत
61–श्री हरभजन सिंह चीमा
62–श्री हरिदास
63–श्री हरीश धामी
64–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65–श्री हेमेश खर्कवाल

गुरूवार, दिनांक 06 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल के विरूद्ध दर्ज मुकदमा वापिस लिये जाने विषयक नियम–310 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं। (मेज की थपथपाहट) विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि श्री राज कुमार ठुकराल इस सदन के माननीय सदस्य हैं और एक विधायक को जिस तरीके से बे–इज्जत या अपमानित किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है और उनको पकड़ने के लिए 2500 रूपये का इनाम भी रखा गया है, जैसे कि वे बहुत बड़े बदमाश होंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, कि हमने इसमें नियम–310 की सूचना भी दे रखी है। आखिर एक विधायक को किस स्तर तक जलील करेंगे, चाहे कोई भी विधायक हो। वह यहाँ आये और उन्होंने हस्ताक्षर किये हैं और वह न्यायालय में भटक रहे हैं। मान्यवर, इस सदन में सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि "मुकदमा वापिस लेने की एक प्रक्रिया होती है। फिर मुझे परीक्षण करवाने पड़ जाएंगे, इसलिए उसमें मत पड़िए। मैंने एक बार भरोसा दिला दिया कि हमारी पार्टी बदले की भावना से न राजेश शुक्ला जी के साथ और न ठुकराल जी के साथ कोई कार्यवाही होने देगी।" इसमें राजेश शुक्ला जी ने कहा है कि "मुझे जेल जाना पड़ेगा" और सरकार ने यह कहा कि "आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। सदन में घोषणा न्याय देने की की जाती है। इन दोनों के साथ न्याय होगा, मैं यह भरोसा दिलाता हूँ। इनके साथ न्याय होगा, इन्हें सुरक्षा मिलेगी और कोई बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होगी।" (विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जैसा कि यह सारे सदन के संज्ञान में है और मैं अभी पूरे प्रकरण से ठीक तरीके से भिज्ञ नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, मैंने उसका संज्ञान लिया है और आज रात 10:30 बजे, मैंने लॉ इन्फोर्सिंग और लीगल अधिकारियों की एक बैठक अपने सचिवालय चैम्बर में बुलाई है। इस समय मैं आपसे इतना ही निवेदन

करना चाहूँगा कि आप और मैं एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में किसी समय बैठ लेते हैं और बैठ करके सभी विषयों पर विचार–विमर्श कर लेते हैं और उसमें कोई निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। (विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो सरकार की तरफ से सदन में आश्वासन है और यह सदन का मामला है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी, आपके मामले में निर्णय हो चुका है तथा दूसरा बिन्दु सदन में आ चुका है यानी इस मामले में निर्णय हो चुका है। (माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहती हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, उस समय सुरक्षा की दृष्टि से... (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने एवं छात्र संख्या बढ़ाये जाने की सरकार की योजना

*1–श्रीमती सरिता आर्या–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अभाव के कारण उक्त विद्यालयों के छात्र–छात्राओं की संख्या घटती जा रही है तथा

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

गाँव में विद्यालय होने के बावजूद अच्छी शिक्षा के अभाव में ग्रामवासियों को अपने बच्चों को अध्ययन करने हेतु दूर के विद्यालयों में भेजना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उक्त विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु सरकार की भविष्य में क्या योजना है ?

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी हाँ। इण्टर स्तर पर छात्र नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु हा0 स्कूल एवं अन्य विद्यालयों में नामांकन घटा है। छात्रों के नामांकन दर घटने का कारण शिक्षकों का अभाव नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा विद्यालय खोलना, अभिभावकों द्वारा निजी विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाना तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाना इत्यादि है।

जनपद नैनीताल में शिक्षकों की पूर्ति हेतु जुलाई, 2013 में 147 स0अ0, प्राथमिक के पदों पर नियुक्तियों के साथ ही क्रमशः 16 प्रधानाध्यापक, 48 स0अ0 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 42 प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर सत्र 2013–14 में पदोन्नतियाँ की गयी। अक्टूबर, 2013 में प्रवक्ता के 100 पदों पर पदोन्नति तथा स0अ0 एल0टी0 में वर्ष 2012–13 में 142 पदों पर नियुक्तियाँ की गयी। साथ ही प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 2113 रिक्त पदों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाये जाने हेतु निःशुल्क माध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क गणवेश वितरण की व्यवस्था के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य की योजना का परीक्षण किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद पिथौरागढ़ शहर के सीवर लाईन के कार्य को पूर्ण किये जाने की कार्यवाही

*2–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ शहर हेतु बन रही सीवर लाईन का कार्य अपूर्ण है ?

यदि हाँ, तो उक्त कार्य हेतु कुल कितने धन की स्वीकृति प्राप्त थी तथा स्वीकृत धन के सापेक्ष कुल कितने कि0मी0 कार्य पूर्ण हुआ है ?

क्या सरकार इस कार्य हेतु बनने वाले ट्रीटमेन्ट प्लांट के कार्य हेतु धन स्वीकृत करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो ट्रीटमेन्ट प्लांट के अभाव में पूर्व में बनी मल उत्सर्जन लाईन के बन्द (चोक) हो जाने पर विभाग क्या कार्यवाही अमल में लायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उक्त कार्य हेतु ₹1367.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष 19 कि0मी0 सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जी हाँ। वर्तमान में सीवरेज योजना के अवशेष कार्यों हेतु शहरी विकास विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद नैनीताल के नगर पालिका भवाली के अन्तर्गत पेयजल योजना का पुनर्गठन

*3–श्रीमती सरिता आर्या–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के नगर पालिका भवाली के अन्तर्गत पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जाना था जो अभी तक नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भवाली पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जायेगा।

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

भवाली पेयजल योजना (तुरन्त राहत) हेतु शासनादेश संख्या 1408/उन्तीस(2)/13–2(116पे0)/2012 दिनांक 23–12–2013 द्वारा ₹ 70.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी पेयजल योजना पर विचार

*4–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी के आस–पास पर्यटक नगरी में वर्षों पुरानी बिछी पेयजल लाईन के जीण–शीर्ण होने के कारण पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कौसानी के आस–पास के स्थानों के लिये कोई दीर्घ कालीन पेयजल योजना बनाये जाने हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक योजना लागू की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

योजना के प्रथम चरण के कार्यों हेतु प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कपकोट वि0स0 क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों को पेयजल योजना से जोड़ने पर विचार

*5–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कपकोट विधान सभा क्षेत्र जनपद बागेश्वर में कितने अनूसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के कितने गाँवों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है व कितने अनुसूचित बाहुल्य गाँव हैं, जो अभी तक पेयजल सुविधा से वंचित हैं ?

क्या सरकार ऐसे गाँवों को पेयजल योजना से जोड़ने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 101 गाँव के 276 तोकों में से 245 तोक पूर्णतः, 28 तोक आंशिक रूप से पेयजल सुविधा से लाभान्वित हैं एवं 03 तोक पेयजल से वंचित हैं।

जी हाँ।

स्वैप पद्धति के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् नियमानुसार पेयजल से संतृप्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में विभाग द्वारा हैण्ड पम्प लगाये जाने पर विचार

*6–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में विभाग द्वारा जो हैण्ड पम्प स्थापित किये गये थे, में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार पर्वतीय क्षेत्र में और हैण्ड पम्प लगाने हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रतिवर्ष सम्पादित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी वि0स0 क्षेत्र में काण्डी परोगी पम्पिंग योजना की स्वीकृति

*4–श्री महावीर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र काण्डी परोगी पम्पिंग योजना की स्वीकृति हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रस्तावित योजना को स्वैप पद्धति के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने हेतु प्रथम चरण के कार्य हेतु प्राक्कलन ₹ 29.31 लाख राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के ग्वालदम में पिंडर नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाने पर विचार

*8–डा0 जीत राम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ग्वालदम में सरकार पिंडर नदी से पम्पिंग पेयजल योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रथम चरण के कार्यों हेतु प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के कोट भ्रामरी मन्दिर डंगोली में विभिन्न जनपदों से आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा एवं नन्दा राजजात यात्रा के सफल आयोजन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

*9–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कोट भ्रामरी मन्दिर डंगोली में चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल से आने वाले यात्रियों व श्रद्धालुओं की सुविधा व नन्दा राजजात यात्रा के सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं उद्यान मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा श्री नन्दा राजजात यात्रा के सफल संचालन हेतु दिनांक 15–6–2012, 8–4–2013, 8–6–2013 को विभिन्न कार्यों एवं कार्य स्थलों के

निरीक्षण के उपरान्त अधिकारियों एवं यात्रा प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा के सफल आयोजन हेतु बैठकें आयोजित की गयीं। यात्रा अधिकारी श्री नन्दा राजजात यात्रा द्वारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों से सम्मिलित होने वाली श्री नन्दा राजजात यात्रा की डोली, छंतोली एवं निशानों को लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं एवं मार्ग व विभिन्न पड़ावों में यात्रा के आगमन का विवरण तथा यात्राकाल के दौरान सैटेलाईट फोन की सूचना हेतु जिलाधिकारियों से पत्राचार किया गया है।

सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा भी अपने जनपद में श्री नन्दा राजजात यात्रा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों एवं कार्य स्थलों के निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों एवं यात्रा प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गयीं। उक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्णय लिये गये। इसके अतिरिक्त मेला कार्यालय की ओर से भी श्री नन्दादेवी राजजात यात्रा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करते हुए समन्वय स्थापित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के काश्तकारों की नकदी फसलों एवं फलों के संरक्षण हेतु शीतगृह बनाये जाने पर विचार

*10–श्री महावीर सिंह–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के काश्तकारों की नकदी फसलों एवं फलों के संरक्षण के लिए शीतगृह की व्यवस्था न होने के कारण काश्तकारों की फसलों एवं फलों का समय पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार धनोल्टी में शीतगृह बनाने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस क्षेत्र में मुख्यतः उत्पादित बेमौसमी सब्जियों का अच्छा मूल्य मिलने के कारण तथा फलों का उत्पादन मांग की तुलना में कम होने के कारण शीतगृह की आवश्यकता नहीं है।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा, देवलसारी, क्यारी सुरकण्डा एवं पत्थरखोला आदि पर्यटक स्थलों को विकसित किये जाने पर विचार

*11–श्री महावीर सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा, देवलसारी, क्यारी सुरकण्डा एवं पत्थरखोला आदि स्थानों को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विकसित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

पर्यटन विभाग द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत नागटिब्बा, सुरकण्डा क्यारी आदि स्थलों को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विकसित करने हेतु विभिन्न योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। जिसके अन्तर्गत ओतड़ से नागटिब्बा तक 07 कि0मी0 पैदल मार्ग हेतु वन विभाग को वर्ष 2000–01 में ₹ 2.03 लाख, नागटिब्बा में भदराज मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹ 1.96 लाख, नागटिब्बा पर्यटन स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु ₹ 4.68 लाख, घरोड़ा मोटरमार्ग से नागटिब्बा तक ट्रैक मार्ग का निर्माण एवं मन्दिर सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत आगणन की लागत ₹ 17.24 लाख, के सापेक्ष ₹ 16.90 लाख, ग्राम पंचायत क्यारी में खडगनाथ मन्दिर सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में ₹ 1.50 लाख, ओंतड से नागटिब्बा ट्रैकिंग सम्पर्क मार्ग का सुधारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत ₹ 5.09 लाख तथा देवी दर्शन पर्यटन सर्किट (धनोल्टी–चम्बा–नरेन्द्रनगर) योजनान्तर्गत सुरकण्डा देवी में विकास कार्यों हेतु ₹ 62.97 लाख, कददूखाल से सुरकण्डा देवी मन्दिर तक पैदल पथ का विकास कार्य हेतु ₹ 86.90 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

जिला योजना 2013–14 में मोरियाणा में यात्री शेड के निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख तथा एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत ग्राम क्यारी में कम्यूनिटीहाल के निर्माण हेतु ₹ 5.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के वि0ख0 बहादराबाद पेयजल योजना को पुनः चालू कराने पर विचार

*12–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड बहादराबाद के ग्राम बहादराबाद की पेयजल योजना नं0 2 गत एक वर्ष से बोरिंग खराब होने के कारण बन्द है जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पेयजल योजना को पुनः चालू कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। जनपद हरिद्वार की बहादराबाद पेयजल योजना नं0 2 चालू है। वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

हरिद्वार नगर निगम के गन्दे नालों को गंगा नदी में गिरने से रोकने हेतु कार्ययोजना

*13–श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के कई गन्दे नाले सीधे गंगा नदी में गिर रहे हैं जिस कारण गंगा का जल प्रदूषित होता जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गन्दे नालों को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

एन0जी0आर0बी0ए0 के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत अधिकांशतः नाले टेप कर नगर की सीवरेज योजना में जोड़ दिये गये हैं। अवशेष 4 नालों क्रमशः शिव मन्दिर/लाल मन्दिर नाला, पाण्डेवाला नाला, रामरक्का पार्क नाला, कसाई नाला टेप करने का कार्य प्रगति पर है।

फरवरी, 2014 तक कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक स्थित रा0उ0मा0 विद्यालय प्रतापपुर को उच्चीकृत करने पर विचार

1–श्री बंशीधर भगत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापपुर को राजकीय इण्टर कालेज के रूप में उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के वि0ख0 विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर में प्रस्तावित पेयजल नलकूप लाइन की प्रगति

2–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर (सहारनपुर रोड) के लिए मिनी पेयजल नलकूप (पाईप लाईन सहित) प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–265/2012 के अन्तर्गत हरबर्टपुर (सहारनपुर रोड) के लिए मिनी पेयजल नलकूप (पाईप लाईन सहित) की योजना हेतु शासनादेश संख्या 965/उन्तीस(2)/13–2(99पे0)/2013 दिनांक 05–12–2013 से ₹ 66.71 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

राज्य में वर्तमान में खुले हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों के संचालन हेतु सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था

3–श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में राज्य में अनेक हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज खोलने हेतु सरकार ने स्वीकृति प्रदान की थी ?

यदि हाँ, तो कितने विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो चुका है ?

क्या सरकार ने वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ (वर्ष 2010–11 में)।

एक विद्यालय।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के विद्यालयों में फर्नीचार की व्यवस्था किये जाने पर विचार

4—श्री आदेश चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है तथा विद्यार्थी जमीन पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य के उक्त विद्यालयों हेतु फर्नीचर दिये जाने की योजना पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य के मात्र उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिसमें 104126 बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत फर्नीचर दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालयों हेतु फर्नीचर सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा राज्य के समिति वित्तीय संसाधनों के कारण प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों की सुचारू संचालन की व्यवस्था

5—श्री मयूख सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रा0मा0शि0अ0 के अन्तर्गत कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है ?

क्या उच्चीकरण करते समय इनमें शिक्षकों की, कक्षा—कक्ष एवं अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी थी तथा वर्तमान में क्या उक्त विद्यालय संचालित हैं ?

यदि हाँ, तो कौन—कौन से ?

यदि नहीं, तो किन कारणों से बन्द हैं ?

क्या सरकार इन कारणों का निराकरण कर इन्हें सुचारू रूप से संचालित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। जनपद पिथौरागढ़ में रा0मा0शि0अ0 के अन्तर्गत 30 विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया है।

उच्चीकरण करते समय जू0हा0 के शिक्षकों/कर्मचारियों से ही जू0हा0 के भवन में ही कक्षाओं का संचालन किया गया।

इन उच्चीकृत विद्यालयों में 29 विद्यालय हाईस्कूल स्तर पर संचालित हैं। सूची संलग्न। †

मात्र 01 विद्यालय रा0उ0मा0वि0 नालीबेल संचालित नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्रारम्भ में अध्यापक/प्रधानाचार्य की तैनात नहीं होने के कारण विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है।

जी हाँ।

आगामी सत्र से।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0इ0का0 सल्ला के भवन निर्माण में अनियमितता की जाँच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

6–श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के रा0इ0का0 सल्ला का भवन निर्माण कितनी लागत में कब से किया जा रहा है ?

क्या सरकार यह भी अवगत हैं कि उक्त निर्माण कार्य में भीषण अनियमिततायें होने के कारण भवन अभी तक अपूर्ण है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करने पर विचार कर रही है ?

क्या जाँच में कार्यदायी संस्था दोषी पायी गयी है ?

यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध अब तक क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–158 पर)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

रा0इ0का0 सल्लाचिंगरी के भवन निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2007–08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुमोदित लागत ₹ 98.70 लाख के सापेक्ष ₹ 14.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जो कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2008–09 में चालू भवन निर्माण कार्य हेतु ₹ 35.00 लाख एवं वर्ष 2010–11 में ₹ 49.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। विद्यालय का भवन निर्माण कार्य सितम्बर, 2008 से प्रारम्भ किया गया है।

कार्यदायी संस्था द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण में परियोजना प्रबन्धक द्वारा मौके पर उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामवासियों के समक्ष विद्यालय भवन के प्रथम तल का कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की माह दिसम्बर, 2013 में उपलब्ध करायी गयी भौतिक प्रगति आख्या द्वारा अवगत कराया है कि विद्यालय के प्रथम तल का निर्माण कार्य पुताई आदि करके पूर्ण कर दिया गया है। शेष निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आंगणन ₹ 161.26 लाख शासन को प्रेषित किया गया है।

पुनरीक्षित आंगणन शासन के विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

–उपरिवत्–

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के वि0खं0 विकासनगर अन्तर्गत ग्राम डाकपत्थर केशवमाधवपुरम एवं सरस्वती बिहार में प्रस्तावित मिनी पेयजल नलकूप योजना की प्रगति

7–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम डाकपत्थर के केशवमाधवपुरम तथा सरस्वती बिहार के लिए मिनी पेयजल नलकूप (पाईप लाईन सहित) की योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गयी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 265/2012 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना हेतु ₹ 60.00 लाख का प्राक्कलन परीक्षणाधीन है।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत नगर पंचायत कपकोट में नवीन पेयजल योजना का निर्माण

8–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के नव सृजित नगर पंचायत कपकोट में नई आवासीय कालोनियां विकसित होने व बागेश्वर शहर में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ने के फलस्वरूप पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में एक नई पेयजल योजना का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

ए0डी0बी0 के अन्तर्गत सरयू नदी से पम्पिंग पेयजल योजना का कार्य प्रस्तावित है। ए0डी0बी0 से धनराशि स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के वि0स0 क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों का जीर्णोद्धार

9–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 व वर्ष 2008–09 में जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007–08 व 2008–09 में लगे हैण्डपम्पों में से कितने खराब पड़े हैं ?

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कपकोट के खराब हैण्डपम्पों को यथाशीघ्र ठीक करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में वर्ष 2007–08 में 26 एवं वर्ष 2008–09 में 17 नग हैण्डपम्प स्थापित किये गये।

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में लगे कुल 43 अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 09 नग खराब (निष्क्रिय) हैं।

जी नहीं। उक्त हैण्डपम्प मरम्मत योग्य नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। खराब हैण्डपम्प निष्क्रिय होने के कारण मरम्मत योग्य नहीं है।

जनपद देहरादून विकासनगर के नगर पालिका में प्रस्तावित सीवरेज योजना की प्रगति

10–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकासनगर नगर पालिका में सीवरेज सिस्टम के विस्तार की कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। पेयजल निगम द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में शहरी विकास विभाग को यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा ₹ 3902.65 लाख का प्राक्कलन शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

जनपद टिहरी के क्षेत्र जौनपुर वि0ख0 थौलधार के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण

11–श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र जौनपुर वि0खं0 थौलधार में जून माह में हुई अतिवृष्टि से विद्यालय भवनों की क्षति होने पर अभी तक कितने विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण हुआ है तथा कितने विद्यालय भवनों पर अभी तक कार्य स्वीकृति नहीं हो पायी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन विद्यालय भवनों पर कार्य स्वीकृति नहीं हो पायी है उनमें कार्य स्वीकृति हो जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल विधान सभा क्षेत्र जौनपुर वि0खं0 थौलधार में माह जून, 2013 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 03 विद्यालय 1–रा0इ0का0 नागराजधार नगुण, 2–रा0इ0का0 थत्यूड़, 3–रा0ई0का0 रगड़गाँव के विद्यालय भवन/चाहरदीवारी क्षतिग्रस्त हुई है। अद्यतन किसी भी विद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है न ही स्वीकृति प्राप्त हुई है।

रा0इ0का0 नागराजाधार नगुण में क्षतिग्रस्त चार कक्षा–कक्षों के पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन0डी0 आर0एफ0) से धनराशि स्वीकृत करने की कार्यवाही गतिमान है। शेष दोनों विद्यालयों के क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के आंगणन वर्ष 2014–15 के बजट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तावित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

रमसा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को गणवेश (यूनिफार्म) दिये जाने पर विचार

12–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रमसा के तहत विद्यार्थियों के गणवेश हेतु सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि पर्याप्त है ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि दी जा रही धनराशि से 2 जोड़े गणवेश बन पाना सम्भव है ?

यदि नहीं, तो क्या इस धनराशि को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

रमसा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को गणवेश (यूनिफार्म) दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षा प्रेरकों का वेतन बढ़ाने पर विचार

13—श्री भीमलाल आर्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य के मेहनतकश शिक्षा प्रेरकों का वेतन आदि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

साक्षर भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित केन्द्र पोषित योजना है। जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य द्वारा स्वीकृत की जाती है। विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्रौढ शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही प्रेरकों के मानदेय के मानक तय किये जाते हैं।

वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार

14—श्री महावीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

स0अ0 एल0टी0 वेतनक्रम में 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची एवं प्रवक्ता संवर्ग में 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची के तहत् नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 1383 रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया सम्पादित की जा चुकी है एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में सीधी भर्ती हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड में बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 बेरोजगारों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर विचार

15—श्री महावीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक बी0एड0, बी0पी0एड0 बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कोई नियुक्ति, प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी जबकि बी0एड0, टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एन0सी0टी0ई0 से मार्च, 2014 तक ही विशिष्ट बी0टी0सी0 से प्राथमिक अध्यापक बनाने की छूट प्राप्त है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 बेरोजगारों हेतु ऐसी कोई नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी हाँ।

शीघ्र बी0एड0 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु रिक्ति की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

रमसा के तहत अशासकीय विद्यालयों में धन अवमुक्त किये जाने की योजना

16—श्री ललित फर्स्वाण—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अशासकीय विद्यालयों को रमसा के तहत धन अवमुक्त नहीं किया जाता है ?

यदि हाँ, तो क्या अशासकीय विद्यालयों को रमसा के तहत धन अवमुक्त कराने के लिए कोई योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है ?

यदि हाँ, कब तक योजना अस्तित्व में आयेगी।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों को धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई दिशा–निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं।

जनपद बागेश्वर में लोगों के रोजगार हेतु चाय बागान विस्तारीकरण की योजना

17–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में चाय उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत व लोगों को रोजगार प्रदान करने व पलायन रोकने हेतु चाय बागान विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अमृत रावत–

जी हाँ।

बागेश्वर क्षेत्र में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय परियोजना के अन्तर्गत 210 हैक्टेयर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 122 हैक्टेयर एवं मनरेगा के अन्तर्गत 16 हैक्टेयर, कुल 348 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लान्टेशन किया जा चुका है।

जनपद बागेश्वर के हरिनगरी क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 38 हैक्टेयर एवं मनरेगा के अन्तर्गत 100 हैक्टेयर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014–15 में चाय प्लान्टेशन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों में पायी जाने वाली जड़ी–बूटियों के संग्रहण एवं विपणन हेतु सरकार द्वारा काश्तकारों के लिये बनायी जा रही योजना

18–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी–बूटियों के संग्रहण व विपणन हेतु सरकार द्वारा कोई योजना काश्तकारों के लिए बनाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में प्राकृतिक क्षेत्रों में एवं वन पंचायतों से जड़ी–बूटियों का संग्रहण जनपदीय भेषज संघो, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं वन पंचायत के माध्यम से कराया जाता है।

जड़ी–बूटियों के विपणन हेतु राज्य की तीन जड़ी–बूटी मण्डियाँ यथा रामनगर, ऋषिकेश तथा टनकपुर स्थापित हैं जहाँ पर नीलामी प्रक्रिया के द्वारा जड़ी–बूटियों का विपणन किया जा रहा है।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत संचालित विद्यालयों में अभियान अवधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

19–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में संचालित विद्यालय वर्ष 2013 में अभियान की अवधि पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जायेंगे ?

यदि हाँ, तो इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कुल महाविद्यालयों की संख्या तथा विभिन्न संवर्गों के कुल सृजित एवं रिक्त पद

20–श्री आदेश चौहान–

क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है ?

यदि हाँ, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कितने महाविद्यालयों को मान्यता दी गयी तथा संचालन किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार की उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा 05 संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है तथा कुल 46 संस्कृत महाविद्यालयों (राज्य गठन से पूर्व सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, उ0प्र0 से सम्बद्ध 41 महाविद्यालय तथा राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्ध 05 महाविद्यालय) का संचालन किया जा रहा है।

संस्कृत महाविद्यालयों में माध्यमिक स्तर के पद सृजित हैं। संस्कृत महाविद्यालयों में निम्नांकित पद सृजित एवं रिक्त हैं:–

सृजित पद–

प्रधानाचार्य	–	41
प्रवक्ता	–	43
सहा0 प्रवक्ता	–	209
लिपिक	–	16
परिचारक	–	33
कुल सृजित पद	–	342

रिक्त पद–

प्रधानाचार्य	–	16
प्रवक्ता	–	21
सहा0 प्रवक्ता	–	113
लिपिक	–	02
परिचारक	–	15
कुल रिक्त पद	–	167

संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में सृजित रिक्त पदों के प्रति नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक'', माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल तथा माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में बैठे हुए थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय नेता सदन।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित कर लें?

श्री अध्यक्ष–

हाँ, पहले सदन व्यवस्थित कर लें।

श्री अजय भट्ट–

सभी लोग आ जाईए। माननीय नेता सदन को सुन लें।

(सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गए।)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल के विरूद्ध दर्ज मुकदमा वापिस लिये जाने विषयक नियम–310 की सूचना को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

*मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो गैस्चर दिखाया कि नेता सदन के अपनी सीट पर उठने पर उन्होंने भावनातीत अपने सम्मानित सदस्यों से कहा कि वे सदन को व्यवस्थित करें, मैं उनके इस कदम के लिए उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस गरिमामय सदन, जिसमें एक से एक विशिष्ट व्यक्तित्वों ने परम्पराओं का सृजन करने का काम किया है, जिनमें प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर निवर्तमान मुख्यमंत्री तक सम्मिलित हैं, जिनमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के महानतम स्तम्भ प्रेरणास्रोत श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी हैं, जिनमें एक चपल पार्लियामेंटेरियन श्री निशंक जी भी हैं और यदि मैं अकेले उनकी तारीफ करूँगा तो अजय जी के साथ यह ज्यादती होगी। मैं तो जानता हूँ अजय जी को बचपन से, ये एक टफ कम्पटीटर हैं, स्ट्रीट में भी और व्यक्तिगत बातचीत में भी। इनसे जीतना तो बहुत कठिन काम है, हाँ, इनको साथ लेना सहज है। ऐसा मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम लोग इसी तरीके से मिलजुल कर बहुत सारी बातों का रास्ता निकालेंगे। हमारे राजकीय जीवन में भी और हमारी विधान सभा के जीवन में भी कई चुनौतीपूर्ण क्षण आएंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा चुनौतीपूर्ण प्रसंग आते हैं। संसदीय लोकतंत्र की यही खासियत इसको सर्वमान्य तंत्र के रूप में, शासन प्रणाली के रूप में एक्नॉलेज करती है कि इस प्रणाली के तहत पारस्परिक बातचीत से बड़े से बड़े मसलों का भी हल निकल जाता है। शायद इसीलिए हमारे भारत के बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र को दुनिया में एक मॉडल समझा जाता है और हम उस मॉडल के एक मिनिएचर हैं, उत्तराखण्ड के अन्दर। हम भी उसमें कुछ जोड़ने का काम कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैंने कल भी और आज भी देखा, हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे विकासोन्मुख प्रश्न लगाए हैं और प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे बड़ा हथियार है। जब मैं 27 साल की उम्र में पार्लियामेंट में पहुँचा था, तो मुझे इस बात की शाबासी भी मिली थी कि मैं सबसे ज्यादा प्रश्न लगाता था और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन प्रश्नों को हमने लगाया, उनसे हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक रास्ते खुले। इसलिए मैं एक बात प्रसंग से जरा सा हट कर कह रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की मंत्रणा से कह रहा हूँ कि जितने सदस्यों के तारांकित प्रश्न हैं मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आ पायें या न आ पायें, केवल सभा के पटल पर हों, उन पर मैं यहीं से अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ कि उनके विषय में वह सकारात्मक तरीके से उनके सॉल्यूशन ढूंढकर माननीय सदस्यों को सूचित करने का काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जिस मुद्दे को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रारम्भ में उठे और मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सदन के एक नव आगंतुक सदस्य, जो अभी निर्वाचित सदस्य भी नहीं है, के रूप में मेरा स्वागत किया। मैं माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक संसदीय परम्परा के तहत अपनी सीट से उठकर भी अपनी बात को कहा और अपनी भावना और संदेश को ठीक तरीके से पहुंचाने के लिये 'वेल' तक भी आये और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उनकी इस चेष्टा को अन्यथा न लिया जाय, वह किसी भी रूप में सदन की अवहेलना नहीं है, बल्कि अपनी बात को, अपनी भावना को आगे रखने का प्रयास है। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने सदन को स्थगित किया, मैंने आपके चैम्बर में आकर आपसे अनुरोध किया कि नेता प्रतिपक्ष को, पूर्व नेता सदन को और उनकी पार्टी के अध्यक्ष, जो संयोग से इस सदन के सदस्य भी हैं, को वार्ता हेतु आमंत्रित कर लिया जाय। हमने विस्तार से चर्चा की, बल्कि हमको आपसे अनुरोध भी करना पड़ा और आपने कृपा पूर्वक हमारा अनुरोध स्वीकार भी किया कि दो बार सदन का स्थगन बढ़ाया, ताकि हम किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ सकें। जो आज की स्थिति है, उससे आप सभी अवगत हैं कि जब मामला न्यायालय के सम्मुख होता है,

तो बहुत सारी बातें सदन के पटल पर नहीं कही जा सकतीं हैं, क्योंकि वह न्यायपालिका का विशेषाधिकार होता है। हम हमेशा संसदीय लोकतंत्र के अन्दर उसका सम्मान करते रहे हैं, मगर जो भावना हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्यों की है, उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सॉल्यूशन की तरफ, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जो लचीलापन था, वह हमारे विपक्ष के मित्रों ने दिखाया और जब हम अपने–अपने स्टैंड में लचीलेपन का सहारा लेते हैं, तो फिर रास्ता निकल आता है, मैंने दोनों लोगों से अनुरोध किया। मैंने अधिकारियों को काम सौंप दिया है, मैंने उनको भी बुलाया था, उनका भी परामर्श लिया था, उनका क्या परामर्श था, उसे मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैंने उनको आप सब की भावना और उनके परामर्श के बीच जो संभावित सॉल्यूशन हो सकते थे, उनको फाइंड आउट करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे मामलों में समय की दरकार होती है, सामान्यतः यदि कोई आपका पुराना सदस्य होता, तो शायद आज आप इस विषय को नहीं उठाते, मैं पहली बार सदन में आ रहा था, तो मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने मेरा टेस्ट भी करना चाहा, आपने मेरा इम्तिहान भी लेना चाहा, अब मैं उसमें पास हो पाता हूँ या नहीं, ये आगे की बात है। मगर आपने लिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आप सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि शाम तक हम किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुॅच जायेंगे, क्योंकि कई इस तरह के कार्यक्रम लगे हैं, जिनको इस समय नहीं छोड़ा जा सकता।

मान्यवर, इसलिए मैंने माननीय नेतागणों से अनुरोध किया है कि शाम को हम वन, टू, थ्री, फोर ऑप्शन्स के साथ उनके पास आएंगे और कहीं न कहीं किसी निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे और उस समय तक जो भी आवश्यक कदम उठने हैं, क्योंकि माननीय सदस्य का सम्मान, उसकी सुरक्षा केवल आपका बिन्दु नहीं है, यह माननीय सदन का बिन्दु है, यह सबका बिन्दु है। इसके कस्टोडियन, इसके संरक्षक माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हम किस तरीके से करते हैं, उसको देखने के लिए हमारे मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं उनके माध्यम से पूरा राज्य उसका अवलोकन करता है, उसका विश्लेषण करने का काम करता है, तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी सदस्य की जो एक मेम्बर के रूप में गरिमा है, उस गरिमा को आहत नहीं होने दिया जायेगा। कानून की प्रक्रिया अपनी प्रक्रिया है, हम उसका भी सम्मान करेंगे और जो रास्ता उसके बीच में निकलेगा, वो रास्ता आप सबको सुरूचिकर लगेगा, आप सबको व्यवहारिक लगेगा और वो हम सब को दोनों पक्षों को मान्य हो सकेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने कहा है कि आज शाम को हम कई ऑप्शन्स के साथ बैठेंगे जिसमें मैं और मेरे सीनियर साथी सब लोग आपके साथ वार्ता में होंगे और यह भी आश्वासन दिया है कि अधिकारियों को बुलाकर उस पर कार्यवाही

प्रारम्भ कर दी है और यह भी कहा है कि यह विपक्ष का सवाल नहीं है, राजकुमार ठुकराल का सवाल नहीं है, बल्कि सारे सदन का सवाल है और इस बात को हम लोग आज से नहीं लगातार जब से उनके साथ यह घटना घटित हुई, हम बार–बार इस बात को कह रहे थे कि यह विपक्ष का सवाल नहीं है, एक सम्मानित साथी का सवाल है, जिसको फर्जी फँसाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो नेता सदन ने कहा है कि आज शाम को हम बैठेंगे तो इसका परिणाम भी मैं समझता हूँ कि कल सुबह तक कुछ न कुछ आयेगा, नेता सदन बता देंगे।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, शाम तक ही आ जाना चाहिए, सुबह अच्छी होगी। मैंने कहा सुबह अच्छी होगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब यह बात है तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथी कुछ कहना चाहेंगे।

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से पहले तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं और इस सदन को आपके बहुत लम्बे संसदीय परम्परा का अनुभव है, उसका हमको लाभ मिलेगा, ऐसा हम भरोसा कर रहे हैं। नेता सदन ने जिन बातों को कहा है श्रीमन्, स्वाभाविक यह है कि यह सदन परम्पराओं से चलता है, यह सदन नीतियों और नियमों से चलता है और श्रीमन्, भरोसे पर भी सदन चलता ही चलता है। अन्ततोगत्वा यदि गवर्मेन्ट कुछ कहती है तो उस पर भरोसा न करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन पीछे के समय से जिस तरीके से श्रीमन्, हमने देखा और जैसे कि बहुत विनम्रता से आपसे अभी अनुरोध भी किया एक बार, दो बार, तीन बार हमने पाँच बार लगातार यह अनुरोध भी किया और इसलिए सदस्यों की शंका बढ़ी है श्रीमन्। स्वाभाविक है कि नेता सदन इस सदन में पहली बार आये। उनके संज्ञान में ऐसे तो पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि वो जब घटना हुई थी 02 अक्टूबर को, तब जो मेरे संज्ञान में है कि नेता सदन, आप एम0पी0 रहते हुए उनकी पूरी कमेटी ने वहाँ बखूबी देखा और घूमा और इसलिए यह पूरा घटनाक्रम उनके संज्ञान में है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह किसी पार्टी का विषय नहीं है, जैसा कि नेता सदन ने भी कहा कि यह सम्पूर्ण सदन, ये जो सदस्य विधान सभा का है, यदि इसका मान सम्मान नहीं रहेगा तो इस सदन की गरिमा ही भंग हो जायेगी और एक के बाद एक जिस ढंग के घटनाक्रम हुए हैं, उसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि जानबूझकर किसी सदस्य को बर्बाद करने के लिए, किसी सदस्य के पीछे इस तरह पड़ना, यह किसी भी सदस्य के साथ यह घटना हो सकती है। चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार किसी भी पार्टी की हो। जो सदस्य चुन करके आता है, हाँ, कोई सच है तो उस सीमा तक जाना चाहिए। लेकिन विधान सभा में इस पर नियम–310 में चर्चा हुई है। हमको दुःख होता है कि आज नेता प्रतिपक्ष को दो–तीन बार इस पर नियम–310 की सूचना लानी पड़ी। श्रीमन्, आपको याद होगा आपने स्वयं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने पृष्ठ–43 पर और पृष्ठ–44 पर और पृष्ठ–44–क और पृष्ठ–45 और पृष्ठ–46 पर दिनांक 5–6–2012 की कार्यवाही को हम देखें तो कई बार डर लगता है कि क्या सदन में कोई निर्देश हों, इतने बड़े सदन में चर्चा के बाद पीठ का आदेश हो जाये, निर्देश हो जाये और उसका पालन, इन सदस्यों की सुरक्षा तक का न हो तो आम आदमी कहाँ किस चौराहे पर खड़ा है।

श्रीमन्, आज सारा का सारा सदन चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, विषय इस बात का नहीं है विषय सदन की गरिमा का है और सदस्य की गरिमा का है। 06 महीने पहले तक कोई नाम न आये, आपस में झगड़ा भी नहीं है, झगड़ा पुलिस और एक समुदाय के बीच होता है और पुलिस के दो सीनियर अधिकारी कहते हों, रिपोर्ट दर्ज होती है कि अमुक आदमी की गोली से अमुक आदमी मरा, पुलिस की रिपोर्ट और पुलिस के अधिकारी सामने प्रत्यक्षदर्शी हों और सात महीने के बाद, श्रीमन्, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा भी संसदीय जीवन छोटा सा समय है, लेकिन इस तरह की घटना पहली बार हो रही है कि सात महीने के बाद एक प्राथमिकी रिपोर्ट के बाद दूसरी प्राथमिकी रिपोर्ट उसी में दर्ज हो जाये ऐसा कभी नहीं होता है, यह तो उस न्याय के विरूद्ध है, यदि सरकार चाहती तो उसको उसी दिन रोक सकती थी। लेकिन यह गलत हो रहा है, मैं उसकी पृष्ठ भूमि में नहीं जाना चाहता। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से नेता सदन से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर इस सदन का सदस्य दर–दर भटकेगा उसके परिवार के लोग चौराहों पर खड़े रहेंगे उसके नातेरिश्तेदार अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों के घरों में शरण लेंगे और बचे–बचे फिरेंगे। एक तो इस सरकार ने वहाँ गलत किया और उसके बाद सदस्य के घर की कुर्की कर दी जाय, श्रीमन् कुर्की होना छोड़ दीजिए, ढाई हजार तक का इनाम इस सदन के सदस्य पर, क्या उस सदस्य ने हत्या की, डकैत है, गुन्डा है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विषय इस बात का नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करिये।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन के निर्देशों की सुरक्षा होनी चाहिए और हमने अपने साथियों से भी निवेदन किया है कि नेता सदन बहुत सुलझे हुए हैं।

मान्यवर, यदि उनके सामने यह सारा प्रकरण नहीं आया है तो आज उनके सामने यह सारा प्रकरण है। हम बहुत आशा करते हैं कि आगे किसी भी सदस्य के खिलाफ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसलिए हम भरोसा करते हैं कि आज दिन और रात तक इसका समाधान हो जायेगा, ताकि वह सदस्य जो डरे हुए हैं या आक्रोशित हैं और उनकी शक्ति का दूसरी तरफ अपव्यय न हो, बल्कि इस प्रदेश के विकास के लिए हो। यही निवेदन आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से करना चाहता हूँ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सरवत करीम जी कह रहे हैं कि इसी तरह से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को भी पहले फंसाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें साफ हो गयी हैं और माननीय निशंक जी ने भी वही विश्वास व्यक्त किया है और संसदीय परम्पराओं में हम लोग लगातार विश्वास करते हैं। इस सदन में माननींय सदस्य जब कोई बात बोलता है तो यह समझा जाता है कि वह सत्य बोलता है उसकी नोटिस सत्य बोलने की ली जाती है। हम समझते हैं कि यहाँ पर इसमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि संसदीय परम्परायें विश्वास पर चलती हैं। अगर एक–दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो आने वाले समय में संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत जो सरकार और विपक्ष के रिश्ते हैं वे नहीं बन पायेंगे। यहाँ पर माननीय नेता सदन ने जो आश्वासन दिया है कि इसमें आज सायं तक कोई निर्णय पर पहुँचेंगे और मैं आभारी भी हूँ कि यह एक पॉजीटिव थीम है और यह थीम होनी भी चाहिए। यह कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, विपक्ष के विधायकों के लिए नहीं है, यह सारे सदस्यों के लिए है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे सदस्यों की तरफ से भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो हुआ, वह हुआ और जो पीछे हुआ, उसको हम भूल जायें और एक अच्छी परम्परायें यहाँ पर डालें। यहाँ पर विधायक का अपमान हुआ या किसी भी माननीय विधायक का अपमान हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का अपमान हुआ। मान्यवर, माननीय सदस्य भी इस सदन की प्रापर्टी है। अगर उस पर आँच भी आती है तो हमारी सब की जिम्मेदारी होगी कि सबसे पहले उसके लिए आवाज उठायें। इसलिए मैं इस अनुरोध के साथ पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर माननीय नेता सदन ने जो बात कही है तो उसका शत–प्रतिशत नोटिस के रूप में संज्ञान लेते हुए और हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई अविश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर विश्वास की कोई श्रृंखला है तो वह बननी ही चाहिए। आज सायं तक माननीय नेता सदन जी ने जितने भी ऑप्शन 1, 2 और 3 कहे हैं और आज सायं तक उन पर परिणाम आने की बात कही है। हम सारे सदस्य पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आपके निर्देश और जो निर्णय आना है, उसका हम सब लोग इन्तजार करेंगे। हम सदन को चलाने में गुण–दोष के आधार पर, प्रदेश की जनता के हितों के आधार पर और जब–जब अच्छा होगा साथ देंगे और जहाँ–जहाँ कमी होगी तो सरकार को सुझाव देते हुए सरकार की आँख खोलने का काम भी करते रहेंगे और सदन को चलाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से जो आश्वासन आया है, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी और राजेश शुक्ला जी के खिलाफ वाद चले हैं और जो बहुत छोटे–छोटे वाद हैं वह वैसे ही वापस हो जायेंगे, उनको भी सांय को विचार–विमर्श कर लेंगे। अगर आगे उसमें आश्वासन आना है तो वह आश्वासन समिति में जायेगा और उस पर भी विचार–विर्मश कर लेंगे। मान्यवर, विश्वास की श्रृंखला को आगे बनाने की अपेक्षा के साथ आपसे कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए माननीय सदस्यों की ओर से और सदन की ओर से निवेदन है।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री चन्दन राम दास, श्री कुँवर प्रणव सिंह चैम्पियन तथा श्री बिशन सिंह चुफाल जी की प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में स्वीकृत वसटोला–धमान्दा मोटर मार्ग का अभी तक निर्माण न होने के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वसटोला–धमान्दा मोटर मार्ग की स्वीकृति वर्ष 2010–11 में हो गयी थी, क्योंकि यह गाँव सड़क से बहुत दूरी पर हैं। यहां पर यातायात की सुविधा न होने के कारण यहाँ के निवासी अनेक समस्याओं से जूझ रहें। बीमार तथा पढ़ने वाले बच्चों को कई किमी0 पैदल चलकर अस्पताल तक, स्कूल तक जाना पड़ता है, लम्बे समय से मोटर मार्ग क्षेत्रवासियों की मांग पर यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया था, लेकिन लम्बा समय बीतने के बाद भी लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जिससे क्षेत्रवासी क्षुब्ध हैं और कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इण्टर कॉलेज क्वैराली को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों सहित सवित्त मान्यता न दिये जाने के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के इण्टर कॉलेज क्वैराली को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों सहित सवित्त मान्यता प्रदान किये जाने की मांग क्षेत्रवासियों व अभिभावकों द्वारा बहुत लम्बे समय से की जा रही है तथा उक्त माँग को पूर्ण करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–ए0630/2011 द्वारा भी हुई है, इसके बावजूद भी लम्बे समय से उपरोक्त विद्यालय को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की मान्यता दिये जाने पर सरकार के विचार नहीं करने से जनता, विद्यार्थी व अभिभावक तथा समस्त शैक्षिक विचारधारा के लोग व्यथित, चिन्तित व निराश, हताश हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर इण्टर कॉलेज क्वैराली जिला बागेश्वर को विज्ञान व वाणिज्य के विषय की सवित्त मान्यता प्रदान किये जाने हेतु शासन को निर्देशित किये जाने का अनुरोध करता हूँ।]

प्रदेश में विगत 16 जून, 2013 को आई भीषण दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त जनपद हरिद्वार अन्तर्गत भोगपुर–बालावाली तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण कार्य अभी तक न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

[मान्यवर, जैसा कि विगत 16 जून, 2013 को आयी भीषण दैवीय आपदा के कारणवश जनपद–हरिद्वार के तहसील, लक्सर के क्षेत्रान्तर्गत भोगपुर से बालावाली का तटबन्ध ध्वस्त हो गया था जिससे हजारों किसानों की फसल तबाह हो गयी थी और आबादी क्षेत्र में लगभग 25 ग्रामों में जल प्लावन होने से जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था।

जैसा कि अब तक उक्त तटबन्ध का सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं किया गया है तथा दोबारा से गंगा नदी का जल फसलों में आकर जल भराव कर रहा है जिससे कि फसलों को क्षति का खतरा बढ़ गया है। सम्पूर्ण क्षेत्रवासी इस आपदा से पुनः परेशान होने लगे हैं। अतः इस घोर समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण कर लोकहित में अविलम्ब इस तटबन्ध के अनुरक्षण एवं पुनर्निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर धनराशि अवमुक्त कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रा0 वि0 सिंगाली के जर्जर भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में प्रा0 वि0 सिंगाली के भवन में दीवारों पर दरारें पड़ने के कारण बरसात में छत का पानी कमरे के अन्दर आता है। जिससे दो साल से विद्यालय के छात्र–छात्राएं पंचायत घर में पढ़ाई कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता बराबर विभाग से भवन के निर्माण हेतु मांग करती आ रही है लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे जनता आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

संविधान के अनुच्छेद–174 तथा उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–4 के नियम 14 का पालन न किये जाने पर सभा के उपवेशन की व्यवस्था पर श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का संचालन उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के अन्तर्गत किया जाता है और इसी के अनुसार इसके अध्याय–4 के नियम–14 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि सभा के उपवेशन की व्यवस्थायें क्या रहेंगी और इसी के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद–174 में भी यह स्पष्ट किया गया है और इसमें राज्य के विधान–मण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में व्यवस्था दी गई है और इसमें लिखा है कि "राज्यपाल, समय–समय पर, राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा।" उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 में कहा गया है कि "अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय–व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 60 दिन के उपवेशन होंगे।" मान्यवर, सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के हिसाब से कहीं प्राइवेट संकल्प के माध्यम से, प्राइवेट बिल के माध्यम से, अपने प्रश्नों के माध्यम से तो इन तीनों माध्यम से अधिवेशन की तैयारी करते हैं और इसमें स्पष्ट है कि एक वित्तीय वर्ष में तीन बार अधिवेशन होंगे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में एक अधिवेशन हो चुका है और दूसरा यह चल रहा है और तीसरे अधिवेशन के आने की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भावना इसलिए नहीं है क्योंकि आय–व्ययक बजट इस दूसरे सत्र में आ रहा है, तो इसमें माननीय अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ, माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं आ पायेंगे, प्राइवेट संकल्प नहीं आ पायेंगे, जो प्राइवेट बिल लाना चाहते हैं वह नहीं आ पायेगा क्योंकि इसके बाद अधिवेशन होना नहीं है। इसलिए चाहे सरकार में आपसी मतभेद रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री बदलने का विषय रहा हो या कुछ और कारण रहे हों लेकिन इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा अवरोध हुआ है, यहाँ पर सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, इसमें सत्ता पक्ष के भी हैं वह अपने प्रश्न लगाना चाहते थे या प्राईवेट संकल्प लाना चाहते थे वह नहीं ला पायेंगे, चूँकि इस वर्ष दो ही अधिवेशन होंगे इसलिए इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि आप सरकार को क्या निर्देश देंगे ? धन्यवाद।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम ढाकोवाली रोड़ से ग्राम सुद्धोवाला को जाने वाले रास्ते पर देड़ नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम ढाकोवाली रोड से ग्राम सुद्धोवाला को जाने वाले रास्ते पर देड़ नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री कशमीर सिंह, निवासी ग्राम–सुद्धोवाला, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम पोड़वाला, राजावाला, भगवानपुर, भारतपुर, भाऊवाला अटकफार्म तेलपुरा के कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम पोड़वाला, राजावाला, भगवानपुर, भारतपुर, भाऊवाला अटकफार्म तेलपुरा के कच्चे मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में" श्री यशपाल सिंह नेगी, निवासी–ग्राम पोड़वाला, तहसील–विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा कण्डौली के ग्राम पालावाली व लोअर कण्डौली में आवागमन हेतु गुलाटा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा कण्डौली के ग्राम पालावाली व लोअर कण्डौली में आवागमन हेतु

गुलाटा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में" श्री सुनील सिंह रमोला, निवासी–ग्राम पालावाली लोअर कण्डोली, तहसील–विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा शंकरपुर की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में याचिका

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के ग्राम सभा शंकरपुर की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूप की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री रबीन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम सभा शंकरपुर, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–2 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–2 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री वहीद निवासी, ग्राम–नवाबगढ़ ग्राम सभा नवाबगढ़, पो0 व तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के बाडी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के बाडी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री अजब सिंह, निवासी ग्राम–प्रतीतपुर, ग्राम सभा–प्रतीतपुर, पो0–धर्मावाला, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–4 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–4 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री वहीद निवासी, ग्राम नवाबगढ, ग्रामसभा–नवाबगढ़, पो0 व तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–1 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु यमुना नदी के स्पर न0–1 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री वहीद निवासी, ग्राम नवाबगढ, ग्रामसभा–नवाबगढ़, पो0 व तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–3 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की यमुना नदी से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा कार्य स्पर न0–3 के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री वहीद निवासी, ग्राम–नवाबगढ़ ग्रामसभा–नवाबगढ़, पो0 व तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के स्वानी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा प्रतीतपुर के स्वानी नाले से हो रही क्षति से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ की सुरक्षा के सम्बन्ध में" श्री नरेश कुमार सैनी निवासी ग्राम प्रतीतपुर पो0 धर्मावाला ग्राम सभा प्रतीतपुर तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि आप इसे या तो औचित्य के रूप में या व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें। इसे आप किसी न किसी रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें। यदि सदन में कोई बात होती है तो उस पर कोई निर्णय आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें। वर्ष में तीन उपवेशन होने चाहिए और यहाँ पर दो उपवेशन हो रहे हैं तो यह सीधे–सीधे औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी को यह अधिकार है कि वह निर्णय को सुरक्षित रख लें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम तो यही चाह रहे हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी की ओर से कोई निर्णय नहीं आया है। माननीय अध्यक्ष जी, निर्णय सुरक्षित रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी के व्यवस्था के प्रश्न पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 06 फरवरी, 2014 से दिनांक 21 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यकम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

फरवरी, 2014

06 गुरूवार वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 04.00 बजे)

07 शुक्रवार (1) बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) असरकारी कार्य।

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   'यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

2. श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम– 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   "यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

3. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

   "वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

5. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।"

6. श्री मदन कौशिक द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा। (15 मिनट)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों (नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों) में कार्य पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों/सभासदों/पार्षदों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला आयोजित की जाय।"

08	शनिवार	अवकाश।
09	रविवार	अवकाश।
10	सोमवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा। (2) विधायी कार्यः– 1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
11	मंगलवार	बजट पर सामान्य चर्चा।
12	बुधवार	बजट पर सामान्य चर्चा।
13	गुरूवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
14	शुक्रवार	रविदास जयंती (अवकाश)
15	शनिवार	अवकाश।
16	रविवार	अवकाश।

17	सोमवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
18	मंगलवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
19	बुधवार	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
20	गुरूवार	विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, चर्चा एवं मतदान।
21	शुक्रवार	असरकारी दिवस।

1. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम– 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा। (15 मिनट)

   "उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

2. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

   "दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

   उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है विशेषकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

   राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

   हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

   इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन U.A. state Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।"

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा। (15 मिनट)

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"

4. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा । (15 मिनट)

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में।"

5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा। (15 मिनट)

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय टम्टा, श्री चन्दन राम दास एवं श्री पूरन सिंह फर्त्याल 2–श्री विशन सिंह चुफाल 3–श्री मालचन्द, श्री अजय भट्ट तथा श्री दलीप सिंह रावत की कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री विशन सिंह चुफाल 2–श्री दिलीप रावत तथा 3–श्री माल चन्द की सूचनाओं को नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मेरी सूचना प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों को लेकर है, इसे सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हमारी सूचना को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

विनिश्चय आ चुका है, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री विशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, दिनांक 16 जून और 17 जून, 2013 को प्रदेश में दैवीय आपदा आई थी। मान्यवर, उस दैवी आपदा से जनपद पिथौरागढ़ की तीन नदियाँ गोरी नदी, काली नदी और धौली नदी, इन नदियों से आस–पास के जो गाँव थे, जो गाँव वर्षों से वहाँ पर खेती करते थे और उन लोगों की आजीविका का साधन वही खेती योग्य भूमि थी, लेकिन उस नदी के तेज बहाव से उन लोगों की जो खेती करने

योग्य भूमि थी, वो सारी बह गयी थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से जो प्रभावित परिवार हैं, उनको अभी किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन मुआवजा, जो सड़क के किनारे की भूमि है, उसकी भी वही कीमत आंकी गयी है और जो सड़क से 05 किलोमीटर दूर की भूमि है, उसकी भी वही कीमत आंकी गयी है और जो इस समय वर्तमान कीमत है, दर है, एक नाली फसल पर मात्र डेढ़ सौ रूपया दिया गया है। एक नाली भूमि जिसकी गयी है, फसल बर्बाद हुई है, उसको केवल डेढ़ सौ रूपया दिया गया है और उसकी जो जमीन बह गयी थी, उसको मात्र 2500 रूपया दिया गया है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का कहना है, जो प्रभावित परिवार हैं माननीय अध्यक्ष जी, वो कहते हैं कि जितनी जमीन हमारी गयी है, उतनी जमीन पुनर्वास के रूप में दी जाय। अंग्रेजों के समय से हमारे पास गौचर पनघट, नाप भूमि, सिविल भूमि, उसमें गांव का अधिकार हुआ करता था, लेकिन आज भी जमीनें हैं, जिन लोगों की जमीनें चली गयी थीं, बह गयी थी, उनको पुनर्वास के रूप में जितनी जमीन उनकी गयी, उतनी जमीन उनके नाम से आवंटित की जाय, पट्टा, उनके नाम से कर दिया जाय, क्योंकि उनको आज 15 हजार, 20 हजार उस जमीन की कीमत मिल रही है, भविष्य में क्या करेंगे, जो उस जमीन पर निर्भर रहते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोग। इसलिए मेरी सदन से मांग है कि उन लोगों का पुनर्वास किया जाय और दूसरा जो काली नदी का मेरे क्षेत्र का मामला है एक जगह रडुंआ और अंतडी के बीच का करीब 30 मीटर का नदी का बहाव, काली नदी से बह गया है वह नेपाल से छोड़कर भारत की ओर आया और उससे आज 08 महीने हो चुके हैं। 08 महीने के अंदर केवल 30 मीटर रास्ता नहीं बन पाया है। अंतडी के लोग सीधे नेपाल जाते हैं। ट्यूब में हवा भर कर बच्चे उसमें बैठ कर नदी के पार जाते हैं फिर नदी के पार 30 मीटर पार करके हाईस्कूल, इंटर कालेज जाते हैं। यदि ट्यूब के रास्ते नहीं जाते हैं तो एस0एस0बी0 के लोग मना करते हैं, उनको तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, चट्टान है, ऊपर चढ़ना पड़ता है फिर तीन किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है। 06 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है। लेकिन 08 महीने के अंदर यह सरकार अभी तक 30 मीटर रास्ता नहीं बना पायी। अब समय बचा हुआ है केवल बरसात से पहले 04 महीने का समय है, फिर मई–जून में बारिश होगी, फिर जो बचे हुए गांव हैं, जिनकी सुरक्षा दीवार नहीं बन पायी है, वह सुरक्षा दीवार उदाहरण के लिए आपका उत्तरकाशी का मामला है। 2011 में आपदा आयी थी, यदि वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनी होती तो आधी उत्तरकाशी बची होती, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, सरकार को तो दिल्ली के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इन 04 महीने के अन्तर्गत क्या हुआ, लेकिन सरकार तो वही है अभी सरकार में कोई अंतर नहीं है। बोतल तो वही है, केवल ढक्कन चेंज हुआ है। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, उदाहरण अच्छा नहीं दिया आपने।

श्री विशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अनुभव था ढक्कन का हमें। ढक्कन हमने भी बदला था, इसका अनुभव हमको भी है। इसलिए इन चार महीने के अंदर यह सरकार क्या कर पायेगी, इसमें मुझे सन्देह है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने विषय पर ही रहिये।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मेरा जो विषय था कि लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं किया गया है। इस सरकार ने, 08 महीने तक कोई पुनर्वास की योजना नहीं और मुआवजा जो लोगों को मिलना चाहिए था अभी तक मुआवजा नहीं, जो रास्ते बंद पड़े हुए थे 08 महीने से, वो रास्ते अभी तक खुल नहीं पाये, जो सड़कें अभी तक बंद हैं वो सड़कें अभी तक नहीं खुल पायी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो आपने मुझे नियम–58 में सुनने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर इस समय एक भी अधिकारी, अधिकारी दीर्घा में नहीं है, कार्यस्थगन इतना महत्वपूर्ण है कौन सुन रहा है, इस पर कौन कार्यवाही करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज पहला दिन है आज ही अधिकारी नहीं हैं।(व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि धैर्य रखें, आपकी ख्वाइश पूरी कर दी जायेगी। मैंने निर्देश दिये हैं कि संबंधित विभाग का जिस समय मामला हो उस समय ही अधिकारी यहाँ आयें। यहाँ अनावश्यक हर समय अधिकारियों का मेला नहीं लगा रहना चाहिए। हमसे, आपसे ज्यादा, इस राज्य की जनता महत्वपूर्ण है, जिसने हमको चुना है मेरा अपना स्वयं का निजी अनुभव है कि विधान सभा के सत्र के दौरान.... (सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के कुछ कहने पर विपक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि नेता सदन बोल रहे हैं कम से कम अपने नेता सदन की तो सुन लो।) वे भी मेरे पास आये थे यही कहने जो श्री विशन सिंह चुफाल जी ने कहा, आप शायद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

हरीश धामी जी को इंगित कर रहे हैं। मुझको बोलने के लिए प्रेरित उन्होंने ही किया, आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। (विपक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि अब कम से कम काली पट्टी बांध कर नहीं आयेंगे।)

*श्री हरीश धामी–

मान्यवर, जिस दिन काम नहीं होगा, उस दिन जनता के लिए फिर काली पट्टी बाँधूगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आज माननीय चुफाल जी जनता की पीड़ा उठा रहे हैं। (व्यवधान)

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, नेता सदन बोल रहे हैं, नेता सदन का तो सम्मान करो। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं स्वयं इस बात का अनुभवी हूँ कि सदन के दौरान यदि किसी अधिकारी से किसी महत्वपूर्ण बात पर कोई सूचना देना चाहते हैं तो सब विधान सभा सत्र में होने की बात करते हैं। तो मैंने चीफ सेक्रेट्री को यह कहा है कि आप जिनके जिनके प्रश्न हैं, जिनके संदर्भ में इस तरह की सूचना आई हैं, वह अपनी सूचना के वक्त में आयें। क्योंकि सदन कुछ नियमों के तहत चलता है नियमों में समय निर्धारित रहता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में थोड़ा ऐसा विलम्ब हुआ है और मैं आपकी सजगता का कायल हूँ कि आपने आधे सेकेण्ड के लैप्स को ग्रहण कर लिया और बॉल हमारी तरफ उछाल दी, मैं वो नहीं करूँगा, मैं यह नहीं कहूँगा कि जब आप सत्ता में थे उस समय दैवी आपदा आयी तो उस समय क्या हुआ। मान्यवर, मैं यह बात भी नहीं कहूँगा कि वर्ष 2010 में, जब इस राज्य के उत्तरकाशी के असी गंगा क्षेत्र में अभूतपूर्व आपदा आयी और उसमें केन्द्र सरकार ने जो पैसा दिया है और हम उसको पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाये। मैं उस पर भी बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इस बात पर भी टिप्पणी नहीं करूँगा जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व....(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप यह कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं कहूँगा और आप कह भी रहे हैं (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, नहीं कहने का मतलब, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, माननीय कौशिक जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में भी हैं और आपके दिल में भी हैं मैं समझता हूँ कि माननीय संजय गुप्ता जी उससे सहमत भी होंगे। (हंसी) (व्यवधान) वर्ष 2010 में किस तरीके से बाढ़ की विभीषिका का तत्कालीन सरकार ने समाधान करने का प्रयास किया। (व्यवधान)

*श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मैं सबसे सहमत हूँ, पहले वालों से भी सहमत था और आप से भी सहमत हूँ। (हंसी) (व्यवधान) आप अपनों की चिन्ता कर लें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, माननीय विशन सिंह चुफाल जी ने जो बात यहाँ पर बताई है। हमने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि एक महीने के अन्दर सारे मुआवजे का निस्तारण कर दिया जाय। आपने इस मामले में जो महत्वपूर्ण बिन्दु उठायें हैं मुझे बहुत खुशी है कि इस तरफ से भी बहुत सारे सदस्यों ने मुझको लिख करके इस बात को दिया था कि सड़क के किनारे या नगरीय क्षेत्रों के किनारे मुआवजे के दाम ज्यादा मिलने चाहिए, बजाय जो जमीन दूर है, केवल सर्किल रेट आदि के आधार पर निर्धारण न हो। मैं इस प्रश्न को जरूर संज्ञान में लूँगा। अब रहा सवाल हम क्या कर रहे हैं ? हमने तीन–चार दिन इस विषय में बहुत चर्चा की है, हमने पत्रावली और आंकड़े सहित उनको देखा और आंकड़े सही बोलते हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस बीच में जो आपदा आयी और वह आपदा, दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी कहीं नहीं है, जो उत्तराखण्ड में आयी थी और जिस तरीके से हमारा प्रदेश इस त्रासदी के खिलाफ खड़ा रहा है, वह भी अभूतपूर्व है। मैं उसके लिए अपने उत्तराखण्ड के भाई–बहनों के अदम्य साहस के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय विजय बहुगुणा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे बिन्दुओं को अलग–अलग मदों से निस्तारण किया और उसके लिये सारी बुनियादी चीजों को तैयार करके रखा और एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में वितरित की और ज्यों–ज्यों ज्यादा सूचनायें आती गयीं उसके आधार पर भी हमने फिर से उनको देखा और बहुत से मामले में हमने मुआवजे के रेट्स को भी निर्धारित किया है। उसको बढ़ाने का भी काम किया है।

इस मद में केन्द्र सरकार के सहयोग से, मैं इस बात को कहने की स्थिति में हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कि आपदा के इस मद में किसी भी तरीके के काम के लिए, हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। कमी हमारे पास दो बात की है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, ऑपरेटिव टूल्स और मशीनरी और यह एक दिन में खड़े होने का प्रश्न नहीं है, हम लोग सरकार में इधर–उधर होते रहते हैं, हम सबको उसको शेयर करना चाहिए कि हम आपदा प्रबन्धन तंत्र विकसित करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं आपको टोकना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक निर्देश चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय नियम–58 में उठाया था, तो क्या माननीय नेता सदन उसका उत्तर दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे रहे हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं उनका सम्मान रखने की कोशिश कर रहा हूँ यदि आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने समझा कि कोई और चर्चा हो रही है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, तो हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे पास वर्किंग टूल्स की कमी है हम उसका भी रास्ता निकालेंगे और इसीलिए कल मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया है कि एक करोड़ तक के आपदा सम्बन्धी कामों को स्वीकृति प्रदान करने और उनके क्रियान्वयन को प्रारम्भ करने की प्रक्रिया के अधिकार एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट, जो एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में होगी उसको दिया जायेगा और उनके साथ जो यूनिट है उनके सदस्यों के रूप में हमने जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट और जो कन्सर्न्ड डिपार्टमेन्ट है उनके अधिकारी को भी लिया है, हमने 8 ऐसे जोन छांटे हैं जहाँ इन्टेन्सिव डैमेज हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें माननीय विधायकों का कोई रोल होगा ?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं उस पर भी आता हूँ, तो इसमें इन्टेन्सिव रोल है, इन्टेन्सिव डैमेज हुआ है, जैसे असी गंगा, भागीरथी आदि, वहाँ के लिए वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें मिनिमम ए0डी0एम0 को हमने प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट का हेड बनाया है और तीसरा निर्णय

हमने केदारनाथ के लिए लिया है, मैं इसी बात को माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो केदारनाथ में 5 मई तक यात्रा प्रारम्भ करना पूरे उत्तराखण्ड के सम्मान के लिए चुनौती है, हमारे स्वाभिमान के लिए बड़ी भारी चुनौती है, हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि अकेले सरकार इस काम को नहीं कर सकती है, आपका भी सहयोग हमें चाहिए, राज्य की जनता का हमको सहयोग चाहिए, मीडिया के भाईयों का सहयोग हमको चाहिए, क्योंकि केदारनाथ वैली में काम करने के लिए हमको बहुत सारे ऐसे साहसिक निर्णय लेने पड़ेंगे जो सामान्य वित्तीय परम्पराओं, नियमों आदि से परे हों। मुझको अपने अधिकारियों को वह मौरल बैकअप देना पड़ेगा जो मौरल बैकअप की उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस अधिकारी का हाथ निर्णय लेने में कांपेगा कि कल को इसकी जवाबदेही क्या होगी, तो वह अधिकारी निर्णय नहीं ले पायेगा। यदि जमीनी वास्तिविकता के अनुसार निर्णय नहीं लिया गया तो क्रियान्वित नहीं हो पायेगा, तो हमसे जमाना पूछेगा कि तुमने क्या कर दिया, क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया हमारी मदद करना चाह रही है और भारत सरकार पूरी मदद के लिए खड़ी है मगर काम हमको करना है। इसलिए हमने केदारनाथ एरिया को कई जोन और सब जोन में बाँटा है। मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं विस्तार में भी बता सकता हूँ। हम रूद्रप्रयाग से लेकर कुण्ड तक एक एप्रोच से कार्य लेंगे, जिसमें हम बहुत चिंतित नहीं हैं, क्योंकि यह कम से कम मोटरेबिल रास्ता हो जायेगा, हालांकि यह कार्य नेशनल हाईवे स्तर का नहीं हो सकता है। हमारी माननीय विधायिका शैला जी, यहाँ पर चाहती हैं कि यह नेशनल स्तर का हो, यदि यह कार्य बहुत अच्छा न भी हो तो हम इस मार्ग को मोटरेबिल बना देंगे। मान्यवर, दूसरी हमारी एप्रोच रहेगी कुण्ड से लेकर के गौरीकुण्ड तक की। इस कार्य में भी बहुत बड़ी चुनौती है, मगर उतनी बड़ी नहीं है। इस मार्ग को हम अपने लोकल संसाधन से पूरा कर सकते हैं, लेकिन गौरीकुण्ड से लेकर रामबाड़ा तक की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मान्यवर, मैंने अपने लिए तीन महीने का समय रखा है और अधिकारियों के लिए दो महीने का समय रखा है, इसके लिए हम अलग से एक व्यवस्था कर रहे हैं। मैं प्रोपर आदमी ढूंढ रहा हूँ, जिनको हम पूरा मेंडेड देंगे कि वे किसी तरह से ट्रैकेवल रास्ता बना दें। अभी माननीय हरक सिंह रावत जी, मोटरेबिल मार्ग की बात कह रहे थे तो मैंने उनसे कह दिया कि हम दो मोटरेबिल मार्गों की बात कर रहे हैं, आप्शंस पर भी हम बात कर रहे हैं, इसको भी हम एग्जामिंग कर रहे हैं, इसको भी हम साथ–साथ चला रहे हैं। लेकिन इस समय अच्छे ट्रेक बनाने की बात है तो हम इसमें जो भी लेटेस्ट तकनीकी इनवाल्व है, उसका सहारा लेंगे।

मान्यवर, रामबाड़ा से श्रीकेदारनाथ धाम तक मार्ग बनाने के लिए हमें एक नयी एप्रोच के साथ कार्य करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें इन्टरनेशनल कंसलटेसिंयों का

सहारा लेना पड़ेगा, जिसके पास तकनीकी विशेषज्ञ होंगे और इस कार्य हेतु जितने भी वर्कआउट करने होंगे। मान्यवर, हम इस अवधि में सारे वर्कआउट कर लेंगे, यहाँ तक कि एयरफोर्स आदि की मदद लेकर के जो टूल्स आदि हमें केदारनाथ धाम में पहुँचाने होंगे वे भी पहुँचा देंगे। बाबा केदारनाथ की कृपा रहेगी और जो एक–आध महीने का समय मार्च–अप्रैल में हमें ठीक मिल गया तो हम दोनों तरफ से कार्य करके ट्रेकेबल रास्ता केदारनाथ तक बना लेंगे और श्रीकेदारनाथ धाम के लिए हमने जी0एस0आई0 के बार्डर गाईडेंस के अनुसार कुछ निर्णय लिये हैं। मान्यवर, मंदिर के विषय में हमने ई0एस0आई0 की सजेशन के आधार पर कुछ निर्णय लिये हैं, जो हिलोक्स चारों तरफ हैं, उनके स्टेपलाईजेशन के लिए हमें इन्टरनेशनल एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम में से किसी को यह पता नहीं है कि जहाँ तक कि हमारी नजर जाती है केदारनाथ जी, तक के आगे क्या हुआ है। आज भी वहाँ पर क्या स्थिति है, यह पता नहीं है, इसके लिए भी हम अलग से टाउन शिप के लिए सोच रहे हैं। मान्यवर, वहाँ पर स्थानीय लोगों का व्यवसाय भी साथ–साथ चलता रहे उन्हें यह महसूस न हो कि पुनर्निर्माण की आड़ में उनकी रोजी–रोटी को खण्डित कर दिया है, इस सम्बन्ध में भी हमने अलग से निर्णय लिया है कि हम जिस गाईडेड रूट को तैयार करने का कार्य करेंगे, उस गाईडेड रूट में वे अपना व्यवसाय कर सकें, इसका भी हम प्रबन्धन करने का कार्य करेंगे। मान्यवर, इन सारे उपायों पर हमने एक मेंटल खाका तैयार कर दिया है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रारम्भ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जो बात माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी है, इसमें भारत सरकार द्वारा भी हमें काफी पैसा दिया गया है और मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि तत्समय में मैं जल संसाधन मंत्री था और हमने 11–12 सौ करोड़ रू0 के प्रोजेक्ट को अलग–अलग स्टेज पर प्रोसेस करवाया है। राज्य सरकार द्वारा भी अपनी तरफ से प्रोजेक्ट को प्रोसेस करके भेजा हुआ है, यह एक बहुत बड़ा कार्य इस दिशा में होगा। मान्यवर, मुझे गर्व है कि मेरे सम्मानित साथी जो सिंचाई मंत्री हैं, उनके लिए शायद फ्लड प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है, चूँकि हमारे पास उस कैलिवर की मशीनरी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हमने रास्ता ढूढ़ा है कि जहाँ–जहाँ पर भी इस तरह की परिस्थितियों में कार्य हुआ है, वहाँ–वहाँ के कंसलटेंस को बुलाकर के उनके माध्यम से कार्य करेंगे। इसमें गौरी छाल, धोली गंगा, काली गंगा के किनारे के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, डीडीहाट में जब त्रासदी हुई थी, वहाँ पर भू–स्खलन हुआ था, मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि उस पुराने भू–स्खलन क्षेत्र का भी एक बार फिर से आंकलन करके, यदि कोई प्रोटेक्शन के कार्य करने हैं, जिनको आप अपनी सरकार के वक्त में भूल गए थे, मैं उन कामों को भी प्रारम्भ करा रहा हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक करोड़ तक के लिए एस0डी0एम0 को पूरी पावर दी गयी है लेकिन अब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू होने वाली है, फिर लोक सभा के चुनाव हैं। तो एक करोड़ रूपया कैसे खर्च होगा, क्योंकि टेण्डर प्रक्रिया तो बन्द हो जाएगी।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, दैवीय आपदा के कामों में हम चुनाव आयोग से एप्रोच कर रहे हैं, इन कामों में ये लागू न हो। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि बहुत स्पेसिफिक मामला चुफाल जी ने उठाया था और माननीय नेता सदन ने उत्तर देने में उस मामले में बहुत प्रकाश तो नहीं डाला। चुफाल जी ने कहा कि दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया तथा जिनके मकान बह गए थे, उनका पुनर्वास नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता आक्रोशित है। मान्यवर, उनके मकान ढह गये हैं, 7 महीना हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, चुफाल जी संतुष्ट हो गए हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें स्पेसिफिक उत्तर आना चाहिए था। कोई बात नहीं नेता सदन ने पूरा लाभ लेते हुए, आपने कृपापूर्वक समय देते हुए, हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम निवेदन करना चाहते हैं आपसे, जब नेता सदन ने कहा है, एक बात थी स्पेसिफिक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नियम–58 है, जो स्पेसिफिक है, उसी का जवाब आना चाहिए, उससे आगे–पीछे, इतर नहीं। हम थे डीडीहाट, पहुँच गए केदारनाथ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नेता सदन ने कहा यहाँ, कोई बात नहीं कह दिया, भलाई की बात कही, हम स्वीकारते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप उतने पार्ट को निकलवाने का अनुरोध कर लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, निकालने की बात नहीं कर रहा, वह तो कार्यवाही का पार्ट बन गया है। हमारा यह निवेदन है आपसे कि जो केदारनाथ की आपने बात कही है, मैं आपसे

यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केदारनाथ संभलने वाला नहीं है। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हम तो उसमें पैदल भ्रमण करके आए, जैसे आप गए और पैदल ही लौटे भी। मेरा यह निवेदन है मान्यवर, आपसे कि जब तक आप केदारनाथ को सेना को नहीं सौंपेंगे, हाई एटीट्यूट में हमारे अधिकारी–कर्मचारी काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं, चाहे कितना हम दम भर लें कि हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने जब मैं रात में वहाँ रूका, उन्होंने कहा कि 10–12 दिन बाद यहाँ कर्मचारियों और अधिकारियों की तबियत खराब हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

जब यह विषय आएगा, तब इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह बात तो सामान्य चर्चा में आती लेकिन जो वहाँ पर शव पड़े हैं। वहाँ पर आप भी गए थे, आपको भी पता है, उन मकानों में शव पड़े हैं, कब तक उनका संस्कार कर देंग ? दूसरा, जो आपने यहाँ पर कहा कि एक–एक करोड़ रूपया दिया है, इस एक करोड़ रूपये में स्थानीय विधायक का क्या रोल होगा ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी इस पर चर्चा ऐलाऊ नहीं है। बजट सेशन है, 8 दिन चर्चा है, रोज चर्चा करिएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह तो हम भी कह रहे थे। लेकिन जब कोई बात आयी है तो तत्काल उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। मैंने कहा न कि हम थे डीडीहाट में और पहुँच गए केदारनाथ में।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, नेता सदन को समय तो दे दीजिए, अभी एक ही दिन हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि एक करोड़ रूपये की धनराशि जो आप वहाँ स्थानीय लेबिल पर दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का उसमें क्या रोल होगा, इसको भी सबको बताने की कृपा करें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया, या शायद माननीय नेता प्रतिपक्ष ठीक से नहीं समझ पाए। एक करोड़ रूपये तक के कार्य, उस क्षेत्र में 20 करोड़ रूपये की भी जरूरत हो सकती है, 30 करोड़ की भी जरूरत हो सकती है, 50 करोड़ की भी जरूरत हो सकती है, वह हम उपलब्ध कराएंगे। मगर एक करोड़ रूपये तक के कामों के लिए उनको जिलाधिकारी तक भी आने की जरूरत नहीं है और उसके सुपरविजन के लिए हमने अपने मंत्रीगण को कहा है, जो वहाँ के प्रभारी मंत्री होंगे, उनका ओवरऑल सुपरविजन होगा, अधिकार हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को दिया है। माननीय विधायकगण आदि का सहयोग उसमें सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए हमने माननीय प्रभारी मंत्रियों को अधिकृत किया है। जो बात माननीय बिशन सिंह चुफाल जी ने कही है, मैंने उसका विस्तार से उत्तर दिया है, गौरीछाल से शुरू किया और डीडीहाट में आकर समाप्त किया। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, मैंने कहा है कि हम उनको एग्जामिन करेंगे और मैंने तो इसके लिये उनकी सराहना भी की, शायद आपको अच्छी भी लगी हो। (हँसी)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, हरिद्वार की भी सुध ले लीजिये, भोगपुर से बालावाली का बाँध टूटा पड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 पर अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मेरा विधान सभा क्षेत्र लैंसडाउन, कार्बेट नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और उसके साथ ही पौड़ी वन प्रभाग से भी घिरा हुआ है। यदि मैं कहूँ कि मेरा क्षेत्र 70 से 75 प्रतिशत वनाच्छादित है, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। इन वनों के कारण मेरे क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसके कारण हम कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं ओर सबसे बड़ी बात वन्य जीवों से हमारी सुरक्षा की समस्या भी खड़ी हो गई है। विगत 2–3 महीनों में जिस आक्रामकता के साथ वन्य जीवों ने हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर आक्रमण किया है, वह निःसंदेह चिन्ताजनक है। अभी मेरे ग्राम बूंगा में एक 70 वर्षीय महिला को, ठीक उसके घर के पीछे बाघ ने मार दिया, इससे पूर्व

ग्राम बुधगाँव में एक पुरूष, जो अपने घर के पीछे घास काट रहे थे, उनको भालू ने घायल कर दिया। इससे पहले ग्राम डाबरू, जो रिखणीखाल में है, उसमें दो लोगों को टाइगर ने घायल कर दिया, इससे पहले दो छोटे–छोटे बच्चों को बाघ ने निवाला बना दिया। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कार्बेट नेशनल पार्क हमारे लिये एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय हो गया है। यदि आप दूसरी ओर विकास के कार्यो की बात करोगे तो एक छोटे से नल की लाईन आप जंगल के रास्ते नहीं निकाल सकते, आप उसमें पैदल नहीं चल सकते और धींगामश्ती वन विभाग की इतनी है कि जब वह चाहते हैं, गाँव के लोगों को पकड़कर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। मान्यवर, आज यह मेरे ही क्षेत्र की नहीं पूरे उत्तराखण्ड की स्थिति है कि हमारा लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से घिरा हुआ है और 20–25 प्रतिशत क्षेत्र वन अधिनियमों से घिरा हुआ है। आज बहुत परेशानी में उत्तराखण्ड के लोग आ गये हैं, हमें तो कभी–कभी यह भी लगता है कि हम लोग आजाद हुये भी हैं या नहीं।

मान्यवर, सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि शायद सरकार द्वारा टाइगर कंजरवेशन का गठन किया गया है, शायद उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की गाईड लाईन है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को उसमें भागीदारी मिले, लेकिन मैं आज यह आरोप वन विभाग पर लगाना चाहता हूँ कि इसमें एन0जी0ओ0 को और बड़े–बड़े धन्ना सेठों को मनमानी करने की छूट दी गई है। हमारे यहाँ एक गाँव कालाखांड है, जो मेदावन–दुर्गापुर रोड पर है, उसमें एक नेता आज अपना होटल बना रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के लिये जो सड़क जा रही थी, उन रास्तों पर खाई खोदी गई है और वह रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। आज स्थिति इतनी भयावह और खतरनाक है कि हम लोग आज अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। जब चाहे तब बन्दर, जंगली सुअर और हिरन हमारे खेतों को चौपट कर दे रहे हैं। अभी मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है, उससे लगा हुआ कुछ क्षेत्र माननीय अमृता रावत जी का भी है। आज स्थिति यह है कि मात्र 5 प्रतिशत भूमि पर खेती हो पा रही है, 95 प्रतिशत भूमि बंजर पड़ गई है। इस कारण से लोगों का पलायन हो रहा है, क्योंकि वन्य जीवों और कानूनों के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकट स्थिति यह है कि मेरे गाँव बूंगा में जिस महिला को बाघ द्वारा मारा गया, वह ढाई बजे की घटना है और सुबह 9 बजे तक वन विभाग का कोई भी कर्मचारी डेड बॉडी देखने तक नहीं आया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात पहाड़ के लिये और क्या हो सकती है। उसका भी एक कारण है, मैं वन विभाग पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जिस गाँव में यह घटना हुई है, उस गाँव से कार्बेट पार्क महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर है।

मान्यवर, लेकिन जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है, उस क्षेत्र का कागजों में कानून पौड़ी वन प्रभाग में आता है, जबकि पूरा का पूरा वह आच्छादित कार्बेट नेशनल पार्क से है, वहाँ तक सूचना भेजने में, वहाँ तक उनको सुविधा देने में 60 किलोमीटर की दूरी नापनी पड़ती है इस कारण वहाँ पर लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र को सेंसटिव जोन में चिन्हित किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक तरफ हम पहले ही वन अधिनियमों से घिरे हैं और वन अधिनियम के कारण हमारे विकास कार्य रूके हुए हैं। अभी तक 18–19 सड़कें ऐसी हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क के कारण रूकी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें बहुत प्रखरता से हमको केन्द्र सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि अगर उत्तराखण्ड में यही स्थिति रही तो वन अधिनियम के कारण आज हम लोगों को अपनी जान की कीमत देनी पड़ रही है, आज हम चारा बनकर रह गये हैं और चारा बनने के कारण आज हमारे यहाँ से पलायन इस गति से हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन सरकार से करना चाहता हूँ, सरकार को आगाह भी करना चाहता हूँ कि अगर यही पृष्ठभूमि रही, यही कार्यवाही वन विभाग के द्वारा रही और सरकार के द्वारा रही तो जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में अलगाववाद पनप रहा है, उसका बीजारोपण आज इस प्रदेश में किया जा रहा है। इसलिए इस कठिनाई से बचने के लिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कहूँ पिछले 2–3 साल पहले एक बहुत बड़ा कांड हुआ था कि गाँव के लोगों ने एक बाघ को कथित रूप से जला दिया था, जैसा कि आरोप वन विभाग ने लगाया था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, वो भी आकोश का कारण था इसकी स्थिति इसलिए है कि एक दिन हो सकता है कि वन विभाग के कर्मचारियों और जनता के बीच में बहुत बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें सरकार के द्वारा प्रखरता से केन्द्र सरकार के सामने भी और उत्तराखण्ड सरकार के अधीन जो अधिकारी आते हैं। हमारे यहाँ कालागढ़ डिवीजन में जो आपका वनाधिकारी है, वो इस तरह से लोगों से व्यवहार कर रहा है जिस तरह से लगता है कि कोई अंग्रेजों का वायसराय फिर से इस धरती पर आ गया हो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी पीड़ा है, यह बहुत बड़ी गम्भीरता है कि हम लोग अपने यहाँ अनाज नहीं उगा पा रहे हैं, आज हम अपने यहाँ कोई पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, आज हम कोई जानवर नहीं पाल पा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्मय से यह निवेदन करना चाहता हूँ सदन से, कि तमाम कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दी जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधायक लैंसडौन द्वारा अपनी विधान सभा क्षेत्र कार्बेट नेशनल पार्क तथा पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग के वन क्षेत्र से लगे हुए होने के कारण क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा स्थानीय निवासियों पर बार–बार आक्रमण करना व वन विभाग द्वारा इस समस्या का समाधान न कर पाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। वन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति को न्यून करना था तथा प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काफी कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण मैं बताती हूँ। यह सही है कि जो उन्होंने बहुत ही कठिनाई की बात की। इससे जो वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या वहाँ आबादी है, वो इसके शिकार हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति पर मानव मृत्यु, अपंगता अथवा घायल होने, पशु व फसल क्षति पर राहत राशि में विशेष वृद्धि की गयी है और यदि आप चाहेंगे तो पूरा विवरण मेरे पास है, आप चाहेंगे तो सर्कुलेट भी कर दिया जायेगा। आप कहें तो पढ़ दूँ वरना सर्कुलेट कर दिया जायेगा, यह बहुत बड़ा विवरण है। यह सही है और चिंता की बात है इस पर कई बैठकें पहले भी हो चुकी हैं, कई सारी बैठकें हुईं, मंत्रिमण्डल में भी निर्णय लिये गये उसके आधार पर, लेकिन राहत कोई समाधान नहीं है। वन्यजीव संघर्ष यानि मानव पर वन्य जीवों का संघर्ष, उससे होने वाली हानि चिंता का विषय है हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, वो इसके बारे में और अधिक व्यापक विचार करके तय करेंगे कि किस प्रकार यह कम हो, किस प्रकार वन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ज्यादा प्रभावी हों, किस प्रकार उसके आस–पास बचे लोगों को राहत मिले, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। जो आपने बताया, उससे हम सभी लोग प्रभावित हैं, फसलों को भी जो हानि होती है वन्य जीवों के द्वारा, उसके भी बहुत से प्रयास किये गये, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाये। तो इस प्रकार मुआवजा धनराशि जो बढ़ा दी गयी है उसकी कापी आपको भिजवा दी जायेगी।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क के क्षेत्र से लगे लोग हैं, उनका क्षेत्र कागजों में पौड़ी डिवीजन में आता है, जब कि उनको पूर्व में मुआवजा मिलता रहा है, लेकिन अब जो वनाधिकारी आया है उसने मुआवजा देने से मना कर दिया है, उन लोगों को कोई सहायता देने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि दूसरा डिवीजन है। जबकि कार्बेट नेशनल पार्क से लगे हुए लोग बिल्कुल नजदीक हैं उनको मुआवजा तत्काल मिलता है, वहाँ पर कोई एनजीओ भी देता है। लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनको पूरा नुकसान कार्बेट नेशनल पार्क से हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। हम वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि वह इसका परीक्षण कर इस पर उचित आवश्यक कार्यवाही करें और निर्देश भी जारी करें। मान्यवर, वन्य जीवन को भोजन और पेयजल के लिए वनों से बाहर आबादी वाले क्षेत्रों में आने से मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति होने की प्रबल सम्भावना बनने के कारण वन्य जीवों के लिए वन्य क्षेत्र के अन्तर्गत ही भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है। भोजन की व्यवस्था हेतु जहाँ एक ओर फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्र के अन्तर्गत वन्य जीव वास स्थल, जहाँ वन्य जीव रहते हैं, विकास कार्य किये जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को वन्य जीवों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को मानव वन्य जीव संघर्ष के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र का नियमित तथा सघन गस्त कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा लगातार स्थानीय लोगों से अनुरोध किया जाता रहा है कि वन्य जीव बाहुल्य वन क्षेत्र में प्रवेश न करें। क्योंकि ऐसा करने से वन्य जीव द्वारा आत्मरक्षा में भी कभी–कभी आक्रमण होते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न विशेष सूचनायें प्राप्त हुई हैं। ग्राम बघेड़ा में 25 दिनों तक वन विभाग द्वारा गस्त की गई और आदमखोर को पकड़ लिया गया।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, जब ग्राम के लोगों ने विरोध किया कि वहाँ वन विभाग के लोग नहीं आये तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि मुकदमा वापस होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप हमारे संज्ञान में ले आये हैं। इसमें वन विभाग के लोगों को यह निर्देशित किया जाता है कि इसका परीक्षण कर जानकारी दें। जहाँ कहीं ऐसी अनियमितता होगी तो उसको ठीक कर दिया जायेगा। ग्राम डाबरू का प्रकरण जंगल के भीतर घटित हुआ था न कि ग्रामीण क्षेत्र में।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरासर झूठ है, आपको गलत सूचनायें दी जा रही हैं। जंगल से लगे हुए गाँव के खेत में यह घटना हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है। हमको विभागीय सूचना मिली है। ग्राम भद्रासी में 50 हेक्टेयर में लैन्टना साफ किया गया तथा 8 कार्मिक बन्दूक के साथ गश्त कर रहे हैं, यह सूचना हमारे पास विभागीय है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, बच्चों का स्कूल जाना बन्द हो गया है, जंगल के बीच में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ से कम से कम स्कूल 14 किलोमीटर दूर है और पैदल जाना पड़ता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप यह विशेष सूचना संज्ञान में ला रहे हैं, इसमें वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा कि वो आपकी बात को सत्य मानते हुए इसका परीक्षण कर शासन को जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से, माननीय नेता सदन सौभाग्य से यहाँ उपस्थित हैं, इस ओर आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगा। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र पुरोला विकास खण्ड मोरी पूरा क्षेत्र भेड़ पालक है। वह सर्दियों में अपनी भेड़–बकरियाँ यहाँ जंगलों में लाते हैं जिनको परमिट नहीं मिलती है। यहाँ से धक्के खाकर के वह बकरियाँ वापस ले गये और लुणागाड़ एक जगह है जहाँ उनकी बकरियाँ चरान–चुगान के लिए एकत्रित हुई वहाँ पर उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई, उन्होंने कोई ऐसी घास खा ली कि अचानक डेढ़ सौ बकरियाँ मर गई और डॉक्टर का पता नहीं और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी की आशंका बढ़ रही है, अभी मैंने फोन किया तो भेड़–बकरियाँ और मर रही हैं। न तो मुआवजा का पता है कि मुआवजा कितना मिलेगा, न सरकार का निश्चित है कि भेड़–बकरियाँ अचानक मरने पर कितना पैसा मिलेगा। तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विकास खण्ड मोरी बडियार क्षेत्र विधान सभा पुरोला के लोगों के पास भेड़–बकरी पालन के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन का आभारी भी हूँ कि आपने आराकोट से अस्कोट की बात कही, लेकिन मैं आपका आभारी हूँ, शायद आपके संज्ञान में भी है कि आपने विधान सभा पुरोला का पर्वतीय क्षेत्र छोड़ दिया। जहाँ आज बंदरों की तरह आदमी चल रहे हैं, कुओ में कई मकान बह गये हैं, खेत–खलिहान की जो उपजाऊ जमीन है वह सारी बह गई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, वह कमल नदी का मामला हो या कुआ का मामला हो और उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी पटवारी आदि हैं वह कहते हैं कि जब मकान आपका गिर जायेगा, जब कोई इसमें मर जायेगा तब आपको इस श्रेणी में लिया जायेगा। मान्यवर, उनका सीधा–सीधा जवाब यह है कि आपका मकान तो खड़ा है, चाहे वह नीचे से टूट गया है और वह रहने लायक नहीं है। इस सम्बन्ध में दो–तीन दिन पहले माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी वार्ता हुई है। लेकिन अभी तक किसी भी टीम का गठन नहीं हुआ है कि क्या उनको मुआवजा मिलेगा? जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र की बात है।

पशुपालन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना में इस विषय का जिक्र नहीं है।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने तो पूरे प्रदेश में आपदा पर जिक्र किया है। उसी बात को कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना पर बल दीजिए।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मैं उसी सूचना पर बल दे रहा हूँ। मैं भेड़ बकरियों की बात कर रहा हूँ और उनको वहाँ पर परमिट नहीं मिलते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है और माननीय नेता सदन यहाँ पर उपस्थित हैं मैं आपका आभारी रहूँगा, पुरोला का विधान सभा क्षेत्र जहाँ पर आज पैदल नहीं जा सकते हैं और राशन के लाले पड़े हैं, सड़कें नहीं हैं और ट्रोलियां नहीं हैं। मान्यवर, हम सड़कों की बात नहीं कह रहे हैं और पुल की बात नहीं कह रहे हैं। उन लोगों को ट्रोलियां मिल जाय ताकि उससे आना–जाना हो जाय। वे लोग बन्दरों की तरह 15 किमी0 तक पीठ में राशन ले जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं हुआ है। आपने एक करोड़ रूपये देने की बात कही है। मैं आपका आभारी हूँ और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन विधान सभा क्षेत्र पुरोला का नाम नहीं आया है। आपने उत्तरकाशी की बात कही है मैं कोई उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा मोरी में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–58 पर अपनी बात को कहें।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, आपने पूरे प्रदेश की बात कही है और मेरे विधान सभा का छोटा सा क्षेत्र मोरी भी इसी प्रदेश में है और मैं भी इसी प्रदेश का निवासी हूँ। इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जहां पैदल रास्ते नहीं है तो मैं इस बात पर बल दे रहा हूँ कि उन भेड़ पालक जिनका नुकसान हुआ है उनको परमिट दिया जाय ताकि उनका नुकसान न हो और जाड़ों में सबकी भेड़–बकरियाँ देहरादून में आती हैं। उनके पास परमिट नहीं हैं और दर–दर की ठोकरें खाकर वापस जा रही हैं तो कोई कहीं पर मर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उनको शीघ्र परमिट देने की कार्यवाही की जाय, और सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की जाय, धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सूचना पर, नियम–58 के तहत इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में विकास खण्ड मोरी के नुणागाड़ में विगत कुछ समय से भेड़, बकरियों में बीमारी फैली हुई है, जिसकी सूचना जब ग्रामीणों द्वारा दी गयी तो तत्काल हमारे पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डा0 सुनील गुप्ता हैं, उनके नेतृत्व में हमारे चार पशुधन प्रसार अधिकारी की एक टीम का गठन किया गया। दिनांक 2 एवं 3 फरवरी को, जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें उपचार के लिए उनको भेजा गया और वहां पर निरन्तर उपचार किया गया। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा है कि 150 बकरियों की मृत्यु हुई है। लेकिन मुझे विभाग से जो सूचना मिली है उसमें 10 भेड़ और बकरियों की मृत्यु हुई है। (व्यवधान)

श्री माल चन्द–

मान्यवर, यह बिल्कुल गलत सूचना है। वहाँ पर 150 भेड़ और बकरियाँ मर गयी हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आपने सूचना दी है और निश्चित तौर पर आपकी बात सत्य होगी। मैं यह मानकर चल रहा हूँ। मेरी पूरी बात यहाँ पर आने दें। मेरे पास 10 भेड़ और बकरियों की सूचना है और जो शेष भेड़–बकरियाँ हैं उनका निरन्तर उपचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने 150 की सूचना दी है तो निश्चित तौर पर संख्या में बहुत अन्तर है और यह एक गम्भीर विषय भी है। मैंने जिलाधिकारी को इस मामले को भी कह दिया है कि इसमें बहुत अन्तर है और इस मामले की तुरन्त जांच करके शासन को उपलब्ध करायें। अगर यह सत्य पाया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही भी की जायेगी और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो आपदा के मानकों के अन्तर्गत तीन

हजार रूपये प्रति भेड़–बकरी के रूप में मुआवजा दिया जाता है। इसमें जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। क्योंकि यह आपदा के अन्तर्गत नहीं आता है, अगर किसी और तरीके से मुआवजे की भरपाई हो सकती है तो उनको मुआवजा दे दिया जाय।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, इसमें परमिट का भी जिक्र किया है। क्या उनको परमिट भी मिलेगा?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इस सूचना में परमिट का जिक्र नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर विभाग का प्रयास रहता है। वन विभाग के साथ ताल–मेल करके और ज्यादा से ज्यादा शीप बोर्ड के जो अधिकारी हैं जिनको हम नियुक्त करते हैं वे वन विभाग के अधिकारियों के साथ ताल–मेल करके, जो पुराने चरान–चुगान के क्षेत्र हैं उनमें परमिट जारी करें और यह हमारे अधिकारी निरंतर करते भी हैं और हमारे जो पुराने चरान–चुगान के क्षेत्र हैं, पुराने भेड़ पालक हैं, यदि उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप संज्ञान में ले आयें, उनको निश्चित तौर पर देखेंगे।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, परमिट तो जारी हुये ही नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी और तरीके से, तो माननीय मंत्री जी हैं वे किसी विवेकाधीन कोष से या माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, तो वे क्या करेंगे ?

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मुआवजे के प्रश्न को अलग से देख लिया जायेगा और जो चुगान परमिट की बात है तो मैं वन के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकरके एक सम्यक नीति चुगान परमिट के विषय में जंगलों के अन्दर जो राईट्स हैं उसके लिए बात करेंगे, आपके प्रश्न का समाधान करेंगे।

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपदा में आप भूरी वाले क्षेत्र को भूल गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री माल चन्द जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अब हम उठते हैं 4.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 04:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्याः–19 पुकारे जाने पर)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट वर्ष 2014 को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत वित्त मंत्री का गजट नोटिफिकेशन जारी न होने विषयक प्रकरण को उठाये जाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक माननीय वित्त मंत्री जी बजट पढ़ें, उससे पहले आपका ध्यान, सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या वित्त मंत्री के रूप में आज जो बजट पढ़ रही हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। चूंकि सामान्यतः बजट प्रस्तुत करने का जो जिम्मा है वह माननीय वित्त मंत्री जी के ऊपर है। मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया (क) आय–व्ययक 171 आय–व्ययक और उसका उपस्थापन, जो नियमावली में है। नियमावली के नियम–173 के (2) में लिखा है कि शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्थापित अनुदान के सम्बन्ध में साधारणतया एक पृथक मांग रखी जायेगी। परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिये प्रस्थापित अनुदानों को एक ही मांग में सम्मिलित कर सकेंगे अथवा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में जिनका सुगमतया किन्हीं विशेष विभागों के अधीन वर्गीकरण नहीं हो सकता, एक ही मांग प्रस्तुत कर सकेंगे। मान्यवर, यानि कि वित्त मंत्री ही किसी प्रदेश का बजट, या किसी सदन में जो वार्षिक आय–व्ययक विवर्णिका प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, मंत्रियों को विभाग मिले नहीं और इतना समय था, जब सरकार ने सारे मंत्रीगण वही रिपीट किये तो विभाग तो दे देते। मान्यवर, एक छोटी सी तकनीकी बात जिसके लिए कहीं से कहीं तक गजट नोटिफिकेशन माननीय वित्त मंत्री के नाम से होना चाहिए था। नोटिफिकेशन में बकायदा छपता कि श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी को फलां–फलां जी की राय से, यानि कि गजट नोटिफिकेशन की जो भाषा होती है, उसमें छपना चाहिए था। मान्यवर, इसमें आपकी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कल रात आप वित्त मंत्री का दायित्व दे सकते थे। सरकार को चाहिए था कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहिन इन्दिरा जी हैं, उनको वित्त मंत्री का दायित्व दे देना चाहिए था। मान्यवर, यह नियमवाली में भी है कि वित्त मंत्री जी ही बजट को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तकनीकी तौर पर वित्त मंत्री हैं या नहीं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिए, आप जैसी व्यवस्था देंगे, वह हमें मान्य होगी।

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी, चूँकि वित्त मंत्री समस्त मंत्रिमण्डल की ओर से बजट प्रस्तुत कर रही हैं और मुख्यमंत्री इस बात के लिए अधिकृत होते हैं कि वे मंत्रिमण्डल के सदस्यों के विभागों का वितरण करे और कार्यों का उनके अंदर बंटवारा करें। इसके अनुसार मैंने जो हमारा बजट वर्ष 2014 का है, इसको प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी को न केवल अधिकृत किया है, बल्कि जो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है, उसका भी तकनीकी रूप से पालन किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या गजट नोटिफिकेशन हुआ है। इसमें गजट नोटिफिकेशन होना आवश्यक है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, इस मामले में गजट नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, चूँकि मंत्रि–मण्डल सामूहिक रूप से विधान–मण्डल के प्रति जिम्मेदार होता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वह ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रही हूँ।

गत वर्ष माह जून में आई प्राकृतिक आपदा के सन्दर्भ में, मैं सर्वप्रथम दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना के साथ श्री केदारनाथ में विराजमान देवाधिदेव महादेव का स्तवन करती हूँ:–

कैलाशशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमम्।
यथोक्तरूपिणं शम्भुनिर्गुणं गुणरूपिणम्।।
वेदैः शास्त्रैर्यथागीतं विष्णुब्रह्मानुतं सदा।
भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्।।

[इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं वर्ष 2013 में राज्य में आयी भीषण दैवीय आपदा से प्रभावित समस्त व्यक्तियों के प्रति संवेदना प्रकट करती हूँ और इस विपदा के समय उन सभी दुखी परिवारों को आश्वस्त करती हूँ कि उनके दुख की इस बेला में राज्य सरकार पूरी शक्ति, सामर्थ्य एवं संसाधनों के साथ उनके साथ खड़ी है और उन्हें आश्वस्त करती हूँ कि सरकार आपदा ग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन व्यक्तियों एवं परिवारों द्वारा अपनी आजीविका एवं आवास खो दिये गये हैं उनको छत देने एवं उनकी आजीविका को पुनः खड़े करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड की महान जनता के सहयोग एवं आशीर्वाद से हम एक सशक्त उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।

God grant me the serenity,
To accept the things I cannot change;
The courage to change the things I can, and
Wisdom to know the difference.

मैं सभी सम्मानित साथियों तथा सेना, वायु सेना, केन्द्रीय पुलिस बलों, एन.डी.आर.एफ., पुलिस व उत्तराखण्ड की महान जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग से इस शताब्दी की भीषण घटना से निपटा जा सका। आपदा राहत कार्यों को संचालित करने के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने के लिए रुपये छः हजार सात सौ बाईस करोड़ छब्बीस लाख का विशेष आपदा पुनर्स्थापना व पुनर्निर्माण का पैकेज तैयार किया गया जो भारत सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को विशेष धन्यवाद देती हूँ।

मैं इस अवसर पर विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अपने अमूल्य संसाधन उपलब्ध कराकर उत्तराखण्ड के भविष्य की एक उज्जवल नींव रखने में हमें असीम सहयोग दिया है।

मैं उत्तराखण्ड के उन सभी वीर सपूतों एवं सुपुत्रियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस आपदा के दौरान बचाव एवं राहत में अपना अपार सहयोग प्रदान किया तथा बचाव एवं राहत के इस असम्भव से दिखने वाले कार्य को सफलता एवं सुगमता से सम्पन्न कराया।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष प्रदेश की तीसरी निर्वाचित सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा मिशन है कि हम आने वाले अल्पकाल में ही इस प्रदेश के पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, बागवानी एवं अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण घटकों को पुनः अपने पूर्व रूप में खड़ा करेंगे और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखण्ड की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, वाह्य पूँजी निवेश बेरोकटोक आये और रोजगार सृजन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो। यह बजट इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक माध्यम एवं रोड–मैप सिद्ध होगा, यह मैं इस बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश को आश्वस्त करती हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा मा0 श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यू0पी0ए0 तथा केन्द्र सरकार के विशेष सहयोग से आपदा से निपटने के लिए एन0डी0आर0एफ0 में रुपये एक हजार दो सौ सात करोड़ सत्तासी लाख की राशि स्वीकृत की गयी एवं केन्द्रांश पोषित योजनाओं तथा बाह्य सहायतित योजनाओं सहित विशेष एस0पी0ए0 के अन्तर्गत राज्य को 2013–14 से 2015–16 की अवधि हेतु रुपये छः हजार सात सौ बाईस करोड़ छब्बीस लाख का विशेष आपदा पैकेज स्वीकृत हुआ है।

आर्थिक एवं राजकोषीय परिवेश तथा वित्तीय प्रबन्धन :

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में हमारे अपने स्वयं के साधनों से कुल आय लगभग ₹ 9830.72 करोड़ अनुमानित है जबकि केन्द्रीय करों में हमारे अंश के रूप में प्राप्त आय हमारे कुल राजस्व का लगभग 16.89 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार के योजनागत एवं अन्य प्रकार के अनुदानों से हमें कुल राजस्व का लगभग 42.94 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। व्यय पक्ष में हमारे कुल व्यय का लगभग 61.53 प्रतिशत आयोजनेत्तर एवं 38.47 प्रतिशत आयोजनागत पक्ष का है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान को घटाते हुए हमारे कुल राजस्व व्यय का लगभग 49.91 प्रतिशत व्यय वेतन आदि मदों में होता है जबकि केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति में इस हेतु 35 प्रतिशत की सीमा का मानक इंगित किया गया है। राज्य सरकार की यह भी बाध्यता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटा शून्य एवं राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के 3.0 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत रखा जाये। वर्ष 2014–15 में राजकोषीय घाटे हेतु यह सीमा लगभग ₹ 4120 करोड़ निर्धारित है। इसी प्रकार ऋण–संपोषणीयता (Debt Sustainability) भी राजकोषीय प्रबन्धन का महत्वपूर्ण बिन्दु है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए शुद्ध ऋण सीमा लगभग ₹ 4120 करोड़ अनुमानित है।

इस परिवेश में हमारा आयोजनेत्तर व्यय हमारे वित्तीय संसाधनों के अपेक्षाकृत यद्यपि अधिक है तथापि वचनबद्ध मदों में व्यय नियंत्रण की अपनी सीमाएं हैं। हम सभी पर अपने राजस्व में पर्याप्त वृद्धि तथा व्यय में आवश्यक नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व है जिससे विकास परक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि बजटीय रणनीति के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यों के साथ–साथ नवीन निर्माण कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने का सरकार प्रयास कर रही है।

महोदय, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी है कि सभी माननीय सदस्यों के अपार अनुभव, बहुमूल्य परामर्श तथा सक्रिय सहयोग से हम भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं का सकारात्मक समाधान निकालने में सफल हो पायेंगे तथा उत्तराखण्ड राज्य को विकास के नवीन सोपानों तक ले जा सकेंगे।

वार्षिक योजना :

यद्यपि अभी वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त होना लम्बित है तथापि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक योजना का आकार परिकल्पित कर आय–व्ययक अनुमान लगाये गये हैं। यहाँ यह भी इंगित किया जाना है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं का पुनर्गठन कर लिए जाने के क्रम में वर्ष 2014–15 से केन्द्र पोषित योजनाएँ भी वार्षिक योजना में सम्मिलित होना सम्भावित है। यह विशेष रूप से इंगित किया जाना है कि वर्ष 2014–15 से जिला योजना हेतु विभागवार, लेखाशीर्षकवार एवं मानक मदवार बजट व्यवस्था करने के स्थान पर एकमुश्त बजट व्यवस्था करने का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया जा रहा है ताकि जिला योजना समिति द्वारा पारित कार्यवार परिव्यय अनुसार धनावंटन एवं कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

मान्यवर,

- आपदा प्रबन्धन/ पुनर्स्थापना पैकेज अन्तर्गत एस0पी0ए0 तथा नई बाह्य सहायतित योजनाओं सहित आपदा प्रबन्धन के लिए ₹ 1693.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- जिला योजना अन्तर्गत प्राविधानित की जाने वाली धनराशि की विभागवार एवं विस्तृत लेखावार बजट व्यवस्था के स्थान पर जनपदवार एक मुश्त बजट व्यवस्था की जा रही है तथा योजना परिव्यय एवं बजट प्राविधान के अन्तर को समाप्त कर समस्त बजटेड धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही अवमुक्त किये जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है ताकि विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ सम्पन्न किये जाने हेतु संसाधन एवं समय अवरोधक न हो।

- व्यापारियों को ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गयी हैं जिससे वह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म "सी" को स्वयं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त करके उसकी प्रिन्ट ले रहे हैं इस हेतु उन्हें वाणिज्य कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
- उद्यमियों की मांग पर रियायती दर से कच्चा माल खरीदे जाने सम्बन्धी फार्म–11 की मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- होटल व्यवसायियों की सुविधा के लिए सुख–साधन कर सम्बन्धी कर निर्धारण को छमाही के स्थान पर वार्षिक कर दिया गया है।
- पकाये हुए भोजन पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित आई0टी0 सम्बन्धी उत्पाद की केन्द्रीय बिक्री पर फार्म "सी" के विरुद्ध पूर्ण कर मुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2015 अथवा जी0एस0टी0 लागू होने तक, जो भी पहले हो अनुमन्य कर दी गयी है।
- राज्य में अवैध खनन के संगठित अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई का गठन किया गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा भूमि सम्बन्धी संगठित अपराधों एवं भूमि की अवैध खरीद–फरोख्त के प्रकरणों पर अंकुश लगाने हेतु विशेष सतर्कता इकाईयों का गठन किया जायेगा।
- राज्य में पूर्व स्वीकृत पॉलिटेक्निकों में आवश्यक पदों का सृजन एवं पाबौ, बांसबगड, तल्लाजौहार, बाड़ेछिना, पोखरी चमोली, बेरीनाग, पिपली डुण्डा, चिनियालीसौड़, चोपता, बड़खेत, रिखड़ीखाल, भीमताल, कोटपौड़ी तथा जोगड़ीसैन में पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है।
- स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा के गाँव बुघाणी (पौड़ी) स्थित पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने एवं इसके संचालनार्थ आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है।
- प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।
- स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) का गठन किया जा चुका है।
- मतरोजखान (अल्मोड़ा), गौचर (चमोली), गहड़, खिर्सू (पौड़ी), रुद्रप्रयाग एवं टिहरी में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

- पर्यटन/तीर्थाटन से सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष गतिविधियों तथा टिहरी झील परिक्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के लिए सीड कैपिटल हेतु ₹ 5 करोड़ धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार अन्यान्य क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
- राज्य के 60 वर्ष व अधिक आयु के लघु एवं सीमान्त उन्हीं कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी जो खेत जोत रहे हों।
- अनुसूचित जाति के 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- बाबू जगजीवन राम जी के नाम पर ग्राम मक्खनपुर, भगवानपुर (हरिद्वार) में कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना/पदों का सृजन प्रस्तावित है। इसी प्रकार के अन्य विद्यालय भी प्रत्येक जनपद में स्थापित किये जायेंगे। यह व्यवस्था रखी जायेगी कि पाँच लाख तक की जनसंख्या वाले जनपदों में एक विद्यालय तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में दो विद्यालय स्थापित किये जायेंगे।
- एक अभियान के रूप में रिक्तियों को भरा जायेगा ताकि अधिकाधिक प्रदेशवासियों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्रदान किया जा सके और विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान की जा सके।
- प्रदेश में आई भीषण आपदा को न्यूनतम समय में प्रबंधित किये जाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को 25 सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा। वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का समुचित विकेन्द्रीकरण एवं प्रतिनिधायन कर प्रत्येक सेक्टर को वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से एक परिपूर्ण इकाई का स्वरूप दिया जायेगा ताकि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय रूप से चिन्हीकरण हो सके और वहीं पर उनका समाधान हो सके।
- सभी सामाजिक कल्याण एवं रोजगार परक योजनाओं के मानकों में यथोचित लचीलापन रखने की व्यवस्था की जायेगी ताकि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
- विकलांग व्यक्तियों को जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना की परिधि के अन्तर्गत लाया जायेगा तथा उनके स्वरोजगार हेतु उद्यमों की स्थापना करने के लिए सब्सिडी की धनराशि इस श्रेणी के उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे इस श्रेणी के उद्यमियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹ 10 हजार प्रति उद्यमी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

➢ पर्वतीय जनपदों में चारा, फलोत्पादन एवं फलोद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि चारे की उन्नत प्रजातियाँ यथा भीमल, बॉज, क्वैराल, खड़िक, गेठी आदि प्रजातियों के रोपण तथा पर्वतीय अर्थव्यवस्था आधारित फलों की प्रजातियों से अधिक से अधिक क्षेत्र आच्छादित कर पर्वतीय अर्थव्यस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इस निमित्त तीन वर्ष तक चारा एवं फलों के क्षेत्रों को सृजित करने वाले एवं उनकी रक्षा करने वाले कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी। इस प्रयास से पर्वतीय जनपदों के पशुधन एवं कृषि व्यवस्था के उन्नयीकरण के साथ–साथ पारिस्थिकीय संतुलन भी स्थापित होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था मैदानी जनपदों में फलोत्पादन हेतु की जायेगी। इस वर्ष इस मद में ₹ 50 करोड़ का प्राविधान किया जायेगा।

➢ इण्टरमीडिएट, पॉलिटेक्निक तथा आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को द्वि–भाषीय शब्दकोष तथा नॉलेज बुक प्रदान की जायेगी।

➢ एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रदेश के जौलजीवी, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सितारगंज, जसपुर, बाजपुर, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, रूद्रप्रयाग, ऋषिकेश, जोशीमठ, पाण्डुकेश्वर, कर्णप्रयाग एवं गैरसैण में सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेन्टरों की स्थापना की जायेगी ताकि आपदा के साथ–साथ सामान्य समय में भी इन केन्द्रों का समुचित उपयोग किया जा सके।

➢ भेड़ एवं बकरी पालन हेतु अलग मंत्रालय की स्थापना की जायेगी जिससे कि प्रदेश के एक वृहद भू–भाग के इस पारम्परिक व्यवसाय को पुनर्जीवित कर उनका आर्थिक उन्नयन किया जा सके। इस मद में बकरी पालकों को भूमि, बकरी खरीदने हेतु तथा सीड कैपिटल आदि हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में ₹ 5 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

➢ ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु ₹ 100 करोड़ की लागत से विभिन्न शहरी निकायों के अन्तर्गत योजनाएँ स्थापित की जायेंगी जिससे खाद एवं ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा तथा पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा।

➢ प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊँ सम्भाग में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों का निर्माण किया जायेगा। गढ़वाल सम्भाग के भगवानपुर, जिला हरिद्वार तथा कुमाऊँ सम्भाग के जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी। ये मेडिकल कालेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से स्थापित किये जायेंगे।

➢ पर्वतीय जनपदों में चकबन्दी की कार्यवाही प्राथमिकता पर प्रारम्भ की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु एक ग्राम का चयन किया जायेगा और रुपये एक करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा जायेगा।

- वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में जलाशय, चैक डैम, लघु बाँध (विअर) का निर्माण कर पेयजल तथा पानी को अन्य उपयोगों हेतु संरक्षित किया जायेगा। यह योजना वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जायेगी और इसके लिए ₹ 150 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी। ये कार्यक्रम समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम, मनरेगा, आईफैड आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न होंगे।
- बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तारीकरण कर इस योजना के अन्तर्गत समाज के निर्धन एवं संसाधनहीन व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन हेतु भी कार्य किये जायेंगे।
- प्रदेश के पारम्परिक मेलों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तराखण्ड के 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु निःशुल्क यात्राएँ सम्पन्न करायी जायेंगी।
- कुम्भ की भाँति कलियर शरीफ में भी अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु एक विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी ताकि विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ की गरिमा के अनुरूप ही इसका स्वरूप भी बनाया जा सके।
- कलियर शरीफ में ऊर्दू एवं फारसी अकादमी तथा देहरादून में पंजाबी अकादमी का निर्माण किया जायेगा।
- संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकाण्ड की शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जायेगा ताकि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्कृति के स्वरूप से उत्तराखण्ड में आने वाले देश एवं विदेशों के नागरिकों को भी लाभान्वित किया जा सके।
- प्रदेश के राज्य शिल्पियों, काष्ठ शिल्पियों, माटी-शिल्पियों एवं वृद्ध पुरोहितों, ग्रन्थियों, मौलवियों एवं पादरियों हेतु विशेष पेंशन योजना संचालित की जायेगी। इस योजना का विस्तृत स्वरूप माननीय सदन के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।
- चकराता, जौनसार, जौहार, चौदास, दारमा व्यास क्षेत्रों के जनजातियों तथा थारू एवं बुक्सा जनजातियों की सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हिमालयन संग्रहालय में पृथक व्यवस्था की जायेगी। इसका नाम स्व0 श्री गुलाब सिंह जी के नाम से रखा जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में फलों आदि की खेती को बढ़ावा देने तथा फल उद्योगों के विकास तथा विपणन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की जायेगी। इस सम्बन्ध में आबकारी एवं औद्योगिक तथा लघु उद्योग नीति में समुचित परिवर्तन किया जायेगा।
- नदियाँ अपने उद्‌गम के दिनों से ही हमारी संस्कृति, समृद्धि एवं आर्थिक गतिविधियों के वाहक एवं केन्द्र रही हैं। मुख्य नदियों एवं उप नदियों की घाटियों में स्टेट हाईवेज के तर्ज पर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

➤ बागों एवं खेतों को जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मनरेगा, आर0के0वी0वाई0 तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विशेष संसाधन जुटाये जायेंगे तथा ऐसी ग्राम सभाएँ एवं वन पंचायतें जो इस निमित्त आगे आयेंगे उन्हें पूर्ण सहायता दी जायेगी।

➤ क्लस्टर आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना बनाई जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में पृथक–पृथक क्लस्टर बनाकर उत्पादन एवं विपणन के लिए आर0के0वी0वाई0 आदि विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के माध्यम से धनराशि एवं अन्य समस्त व्यवस्था की जायेगी।

➤ विभिन्न प्रकार के बीजू फलों को कलमी फलों के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य में चार मदर नर्सरी एवं प्रत्येक जनपद में एक सामान्य नर्सरी बनाई जायेगी तथा इन नर्सरियों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु आवश्यक बजट सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

➤ प्रदेश के आपदा प्रभावित गन्ना किसानों को दी गयी अनुग्रह सहायता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जायेगी।

➤ उत्तराखण्ड के कई क्षेत्रों के निवासी प्रोटीन की कमी तथा अन्य आवश्यक खनिजों की कमियों के कारण कुपोषण आदि के शिकार रहते हैं। इस समस्या के निदान हेतु प्रत्येक जनपद के सर्वाधिक कुपोषण वाले एक ब्लाक को चिकित्सा विभाग द्वारा चिन्हित किया जायेगा। राशन की दुकानों से ऐसे क्षेत्रों को प्रति राशन कार्ड 2 किलो नमक तथा एक किलो सामान्य दाल एवं एक किलो पर्वतीय दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

(बजट भाषण के पृष्ठ 16 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा गया।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, कल की हमारी मंत्रिमण्डल की बैठक में 2–3 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, जिनको बजट भाषण में सम्मिलित किया गया है, संभवतः यह संशोधन सभी प्रतियों में नहीं हो पाया है, उसकी प्रति भी सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

"श्रेणी–3 के पदों के विरूद्ध आवेदन शुल्क के लिये कोई पैसा नहीं लिया जायेगा। जनसामान्य को उनके दरवाजे तक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये डोईवाला, नारसन, दुग नाकुरी, सामा, नैनबाग, जलासू, नारायणबगड़, लमगड़ा, बंगापानी आदि स्थानों पर तहसील का सृजन किया गया है। गन्ना किसानों के हितों के लिये गन्ना मूल्य का भुगतान दो किश्तों में करने का प्रतिबंध निरस्त कर गन्ना मूल्य का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।"

निःशब्द मैदान में लेटी हुई है जो नदी,
पत्थरों से, ओट में जा–जाके बतियाती तो है।
दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर,
और कुछ हो या न हो, आकाश–सी छाती तो है।

बैंकिंग सेवाएँ :

राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनांक 16 जून, 2013 को राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 3.28 लाख बैंक ऋणियों को बैंकों द्वारा ऋण भुगतान में एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि का लाभ प्रदान किया गया है तथा 52 हजार ऋण खातों को पुनर्संरचित किया गया है इसके अतिरिक्त आपदा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अब तक ₹ 212 करोड़ के नये ऋण बैंकों के द्वारा प्रदान किये गये हैं। वित्तीय समावेशन के तहत राज्य के समस्त गाँवों में मार्च, 2015 तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने के लिए बैंक दृढ़ संकल्पित हैं तथा साथ ही साथ प्रथम चरण में राज्य के तीन जिलों (टिहरी, चम्पावत एवं बागेश्वर) में सामाजिक सुरक्षा लाभों को लाभार्थी के खाते में सीधे "डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना" (डी0बी0टी0) के तहत जमा करने हेतु अब तक 23583 लाभार्थियों के खाते खोले जा चुके हैं व इन खातों को एन0पी0आर0/आधार कार्ड नं0 से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। राज्य के समस्त जिलों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण के लिए बैंकों द्वारा आर–सेटी संस्थान की स्थापना कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। राज्य में कृषकों को बैंकों के द्वारा आठ लाख उन्नचास हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा सभी बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसान डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराना आरम्भ कर दिया है ताकि कृषक अपनी सुविधानुसार धनराशि को वैकल्पिक बैंकिंग चैनल से प्राप्त कर सकें। अब तक बैंकों द्वारा कृषकों को लगभग इकसठ हजार किसान डेबिट कार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा शेष किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को शीघ्र किसान डेबिट कार्ड जारी करने का कार्य प्रगति पर है। राज्य का सी0डी0 रेशो (ऋण–जमा अनुपात) 57 प्रतिशत है जिसमें और अधिक सुधार लाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठकों के माध्यम से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। यहाँ यह अवगत कराते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कार्यरत उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक की समस्त शाखाओं ने भी सी0बी0एस0 प्लेटफार्म पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सभी बैंकों के साथ उच्चस्तर का समन्वय स्थापित कर हम सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं में वित्त पोषण को गति प्रदान करेंगे जिससे कि लाभार्थी के जीवन स्तर में वृद्धि के साथ–साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

केन्द्र पोषित योजनाओं से वित्तीय सहायता :

भारत सरकार से एक बड़ी राशि सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, आदि विभिन्न योजनाओं हेतु सीधे सम्बन्धित अभिकरणों को प्रदान की जाती है। केन्द्र पोषित योजनाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप यह सम्भावित है कि इनमें से कई योजनाओं में केन्द्रीय सहायता अब राज्य के बजट के माध्मय से प्राप्त होगी तथा शेष योजनाएँ पूर्ववत ही क्रियान्वित की जायेंगी। इन परिकल्पनाओं के आधार पर तेहरवें वित्त आयोग, जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एन0एस0ए0पी0, ई–गवर्नेन्स, बी0आर0जी0एफ0, बी0ए0डी0पी0 आदि विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से लगभग ₹ 10509.74 करोड़ का अनुदान वर्ष 2014–15 में प्राप्त होना अनुमानित है।

राजकोषीय सेवाएँ :

राज्य के विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, प्रदेश के विभिन्न भागों के मध्य भारी आर्थिक भिन्नताओं आदि विभिन्न कारणों से एक ओर जहाँ वर्तमान राजस्व प्राप्तियाँ अपेक्षाकृत कम हैं तो दूसरी ओर विभिन्न व्यय मांगों व आवश्यकताओं की अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ऐसी दशा में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष अधिकतम लाभ प्राप्त करने एवं आउट सोर्सिंग व पी0पी0पी0 प्रारूप और निजी निवेश माध्यमों का उपयोग करने की आवश्यकता स्पष्ट इंगित होती है। सरकार द्वारा इस दिशा में आगे भी कार्य करने का प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के बाध्यकारी लक्ष्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में यद्यपि सकल रूप से घाटे का बजट प्रस्तुत है लेकिन कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। राजकोषीय घाटा भी अनुमन्य सीमान्तर्गत ही है और राजकोषीय घाटे का प्रबन्धन प्रदेश के आर्थिक उन्नयन की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जायेगा।

वाणिज्य कर :

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वाणिज्य कर का महत्वपूर्ण योगदान है। ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिटर्न, ई–पेमेंट, ई–रिफन्ड, एस0एम0एस0 सर्विस एवं केन्द्रीय खरीद करने वाले व्यापारियों को 'फार्म सी' ऑन लाइन जनरेट करना तथा वाणिज्य कर चौकियों को समाप्त कर वाहनों को ऑन लाइन अपने प्रपत्र घोषित करने की सुविधा आदि द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली को कार्यकुशल, पारदर्शी व सहज बनाया जा रहा है। उद्यमियों की मांग पर रियायती दर से कच्चा माल खरीदने सम्बन्धी फार्म "सी" की मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है। होटल व्यवसायियों की सुविधा के लिए

सुख–साधन कर निर्धारण को छमाही के स्थान पर वार्षिक कर दिया गया है। पकाये हुए भोजन पर कर की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में वैट अन्तर्गत ₹ 5459.01 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है तथा व्यय पक्ष में ₹ 200.33 करोड़ का प्रावधान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन भी राज्य की राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रदेश के 46 उप निबन्धक कार्यालयों में से सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले 18 उप निबंधक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल के कार्यालयों में ई–स्टाम्पिंग प्रणाली लागू की जा चुकी है।

वर्ष 2014–15 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से ₹ 708.79 करोड़ का राजस्व अनुमानित है जबकि व्यय पक्ष में ₹ 31.25 करोड़ का प्रावधान है।

आबकारी :

यद्यपि आबकारी से राज्य को काफी राजस्व प्राप्ति होती है, तथापि मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री सुनिश्चित की जाती है। प्रदेश में उत्पादित एल्कोहल का अधिकतर भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनउपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन के प्रयोग हेतु किया जाता है। सरकार द्वारा बाटलिंग नीति, राज्य में उत्पादित फलों से वाइन उत्पादन हेतु विन्टनरी नीति व माइक्रो पब ब्रुवरी नीति निर्गत की गयी है। वर्ष 2014–15 में आबकारी विभाग से ₹ 1345.40 करोड़ राजस्व प्राप्ति अनुमान सहित व्यय पक्ष में ₹ 14.48 करोड़ का प्रावधान है।

परिवहन :

राज्य के सर्वांगीण विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सड़क परिवहन ही पर्वतीय क्षेत्र में एक मात्र तथा शेष क्षेत्र में यातायात का प्रमुख साधन है। कर ढाँचे में सरलीकरण हेतु उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत मार्ग कर, अतिरिक्त कर (माल वाहन) एवं अतिरिक्त कर (यात्रा वाहन) आदि भिन्न–भिन्न करों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एकल कर ''मोटरयान कर'' आरोपित किये जाने की व्यवस्था है। अपराधों में वाहनों के अनाधिकृत प्रयोग की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बनायी गयी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना उत्तराखण्ड में लागू है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार व एन0आइ0सी0 के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किये गये सॉफ्टवेयर 'वाहन' तथा 'सारथी' के आधार पर विभाग के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में परिवहन विभाग हेतु ₹ 55.96 करोड़ का प्रावधान है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में विमानन तथा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा हवाई पट्टियों एवं हैलीपैडों के रख–रखाव के लिए स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड सिविल एविएशन अथोरिटी का गठन किया गया है। नैनीसैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को भी क्रियाशील करने हेतु समुचित विकास कार्य किये गये हैं। देहरादून में हैलीकॉप्टर के पार्किंग की सुविधा युक्त हैलीपैड का उपयोग विशिष्ठ व्यक्तियों की हैली यात्राओं के साथ–साथ जनहित में निजी हैली कम्पनियों द्वारा चारधाम यात्रा एवं अन्य प्रयोजन हेतु जनसाधारण की यात्राओं के लिए किया जा रहा है। सभी जनपदों में हैलीपैड निर्माण किये जा रहे हैं। आपदा 2013 के दौरान हैली सेवाओं की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी है।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 21.86 करोड़ का प्रावधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य में वर्तमान में लगभग 27000 मेगावाट की उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत उत्पान क्षमता के सापेक्ष अब तक लगभग 3622 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ विकसित की जा चुकी हैं तथा 6620 मेगावाट की भारत नेपाल सीमा में प्रस्तावित पंचेश्वर बाँध परियोजना सहित लगभग 22300 मेगावाट की विभिन्न परियोजनाएँ आबंटित हैं जिनमें से लगभग 2422 मेगावाट की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। दुर्भाग्यवश माह जून 2013 में आयी दैवीय आपदा से कतिपय जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन लम्बे समय के लिए बाधित हुआ है तथापि संचालनरत शेष परियोजनाओं से लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित विद्युत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। मांग के सापेक्ष राज्य में विद्युत उत्पादन व उपलब्धता काफी कम होने के बावजूद पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पर्यावरणीय व अन्य कतिपय कारणों से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास व निर्माण में बाधा होने एवं अनिश्चितता की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने से इस सबसे स्वच्छ विद्युत उत्पादन क्षमता के दोहन में बिलम्ब होने के प्रभाव व परिणाम कालान्तर में हम सबके सामने स्पष्ट होंगे।

(माननीय मंत्री द्वारा बजट भाषण के पृष्ठ 24 की अन्तिम पंक्ति पढ़े जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को भी पढ़ने में कष्ट हो रहा है और जो बजट के अन्दर है, उसे पढ़ते–पढ़ते वह समझ रही हैं, इसलिये पानी पी रही हैं, इसलिये हम यह चाहते हैं कि शेष बजट भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, कल की हमारी मंत्रिमण्डल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि "असिंचित खेती वाले समस्त किसानों को खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जोड़ा जायेगा। इस हेतु खाद्य विभाग पृथक से योजना बनायेगा।"

नई परियोजनाओं में 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 120 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना के विद्युत गृह के कार्यों को दिनांक 23–11–2013 को प्रारम्भ किया जा चुका है।

विद्युत सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कड़ी विद्युत वितरण है। वितरण में लाईन हानियों एवं सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मानक स्तर पर लाने के लिए विभागीय प्रयास व संकल्प सहित आम जनता व आप सभी का सहयोग निवेदित है। एक अनुमान अनुसार एक प्रतिशत हानि कम होने से लगभग 38 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। इस आधार पर 2012–13 के हानि स्तर को मानक 15 प्रतिशत हानि स्तर तक लाने से जो 7 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा उससे लगभग 266 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा जो आम उपभोक्ताओं को अबाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सहायक हो सकेगा, एवं उपभोक्ताओं पर उस सीमा तक विद्युत दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्युत हानियों को नियंत्रित करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को अबाध एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति तथा उच्च सेवा व सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है।

पिटकुल द्वारा 132 के0वी0 पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)–पिथौरागढ़ (पिटकुल) लाईन एवं 220 के0वी0 उपस्थान देहरादून का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 132 के0वी0 डबल सर्किट श्रीनगर–सिमली लाईन का निर्माण, 220 उपस्थान ब्रह्मवारी/घनसाली/हर्रावाला आदि का निर्माण 2014–15 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में सौर ऊर्जा सहित अन्य वैकल्पिक व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर उसके उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण तात्कालिक विद्युत व्यवस्था के लिए आपदा प्रभावित परिवारों को 24900 सोलर लालटेनों का निःशुल्क वितरण किया गया है।

वर्ष 2014–15 में ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹ 512.85 करोड़ का तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹ 6.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है जबकि काफी मात्रा में सम्बन्धित निगमों/संस्था द्वारा अन्य स्रोतों से भी संसाधन जुटाये जायेंगे।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

कृषि हमारी आर्थिकी का प्रमुख अंग है और इस सेक्टर में विकास वृद्धि दर बनाए रखना आवश्यक है। राज्य में कृषि के अधीन भूमि उपलब्धता संकुचित होने से कृषि क्षेत्र में विकास वृद्धि दर बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य की परिस्थितियों के दृष्टिगत हमारी अधिकांश सिंचाई योजनाएँ लघु श्रेणी की हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों के माध्यम से कृषि भूमि को सुरक्षित रखने पर बल दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सिंचाई, लघु सिंचाई एवं बाढ़ निर्माण कार्यों हेतु ₹ 1229.24 करोड़ का प्रावधान है।

पेयजल :

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। राजीव गांधी सर्वेक्षण 2003 के आधार पर विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 31435 बस्तियों को पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित तीन नगरों देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु ₹ 146.31 करोड़ तथा देहरादून, मसूरी, हरिद्वार एवं नैनीताल शहरों की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु ₹ 233.28 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभिन्न पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण एवं जलोत्सारण योजनाओं सहित आबादी क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित करने के कार्य प्रस्तावित हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार एवं हैंडपम्पों के अधिष्ठापन द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। शहरी विकास विभाग के अधीन बाह्य सहायतित एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली जलोत्सारण तथा पेयजल योजनाओं तथा आपदा पैकेज के अधीन किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में पेयजल, जलोत्सारण, गंगा कार्य योजना, प्रथम–चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव आदि कार्यों हेतु लगभग ₹ 567.67 करोड़ का प्रावधान है।

सड़क एवं सेतु :

राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से सम्पर्क मार्गों द्वारा जोड़ने तथा प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों, तीर्थस्थानों एवं पर्यटन स्थलों में सड़क संयोजकता प्रदान करने हेतु मोटर मार्गों व सेतुओं के निर्माण कार्यों के साथ–साथ पूर्व निर्मित मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि 2013 में राज्य में हुई भीषण वर्षा तथा जलप्रलय के फलस्वरूप प्रदेश का यातायात, संचार व्यवस्था तथा पर्यटन पूर्णतः दुष्प्रभावित रहा। अवरूद्ध मोटर मार्गों के कारण प्रभावित 4200 गाँव भी सम्पर्क मार्ग से कट चुके थे जिन्हें वर्तमान में सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है।

बढ़ते यातायात घनत्व की समस्या से निपटने के लिए कार्ट मैकेन्जी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार, "शहीद गजेन्द्र सिंह बिष्ट मार्ग" (शिमला बाई पास मोटर मार्ग) का पुनर्निर्माण, बल्लीवाला चौक/बल्लूपुर चौक/आई0एस0बी0टी0 पर फ्लाई ओवर का निर्माण, भण्डारीबाग रेलवे अण्डर ब्रिज का निर्माण आदि योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार राज्य के तीन महत्वपूर्ण नगरों श्रीनगर (गढ़वाल), काशीपुर तथा रूद्रपुर में भी तीन महत्वपूर्ण मोटरमार्गों का पुनर्निर्माण व सुधार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड में नारसन से देहरादून (आई0आई0पी0) तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चार लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

आपदा पैकेज के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त मार्गों एवं सेतुओं आदि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में ₹ 1407.79 करोड़ का प्रावधान है।

औद्योगिक विकास :

राज्य के आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार औद्योगिक निवेश व औद्योगिक इकाईयों के सफल संचालन हेतु प्रयासरत है। आई0टी0 पार्क देहरादून में इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापित किया गया है एवं सिडकुल मुख्यालय सहित समस्त औद्योगिक संस्थानों में उद्यमियों की सुविधा हेतु सिडकुल के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। अप्रैल 2012 से अब तक सिडकुल द्वारा एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में कुल 121 उद्यमियों को लगभग 73.425 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। जसपुर में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। सितारगंज में सिडकुल फेज–2 के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के परिपालन में अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु देहरादून में 5 उपखनिज क्षेत्रों तथा इसके 09 निकासी मार्गों में खनन सर्विलांस स्थापित किये जा रहे हैं। अवैध खनन रोकने के लिए विशेष पुलिस दस्ते की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2014–15 में औद्योगिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए लगभग ₹ 105.67 करोड़ का प्रावधान है।

आवास एवं शहरी विकास :

वर्तमान में विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों की आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः आवश्यक है कि नियोजित विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं यथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, कम लागत व्यक्तिगत शौचालय, राजीव आवास योजना आदि द्वारा मूलभूत सुविधाओं के विकास, स्लमवासियों को समुचित आश्रय, बेरोजगारों को रोजगार आदि क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। गरीबों के लिए वहन योग्य आवास उपलब्ध कराने को सरकार प्रयासरत है।

वर्ष 2014–15 में शहरी विकास तथा आवास विभाग हेतु ₹ 789.88 करोड़ का प्रावधान है।

समाज कल्याण :

उत्तराखण्ड सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। इस हेतु छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, गौरादेवी कन्याधन योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना आदि विभिन्न क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ, कोचिंग योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट योजना आदि संचालित की जा रही हैं।

जून, 2013 में आयी भीषण आपदा के फलस्वरूप विधवाओं / लापता व्यक्तियों की पत्नियों हेतु नन्दादेवी विशेष महिला सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपद की ऐसी प्रभावित महिलाओं के लिये है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

समाज कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 963.40 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत ₹ 1268.89 करोड़ व अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत ₹ 319.37 करोड़ का प्रावधान है।

सैनिक कल्याण :

उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास अपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है। जिसका उपयोग हम अपने प्रदेश के विकास के लिये कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों का कल्याण केन्द्र और

राज्य सरकार का साझा उत्तरदायित्व है तद्नुसार राज्य सरकार यथाआवश्यक व्यवस्था करने के साथ–साथ सैनिक कल्याण के लिए अतिरिक्त प्रयास एवं विशेष व्यवस्थाएँ कर रही हैं।

शासन द्वारा वीरता पदक विजेताओं के देय वार्षिकी को आजीवन कर दिया गया है जो पूर्व में तीस वर्षों तक के लिये अनुमन्य थी। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य आज देश के सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्यों में सम्मिलित हो गया है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन, शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/माता–पिता एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता आदि अनेक कल्याणकारी कार्य संचालित किये जा रहे हैं तथा सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिये निदेशालय व सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिक जो स्वयं के मकान में रह रहे हैं, को गृहकर में छूट का प्रावधान किया गया है।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 39.93 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में पूरे देश के सापेक्ष आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं व मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त वर्ष में ₹ 1000 की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की गई है तथा टेक होम राशन योजना के क्रियान्वयन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत माता समिति के माध्यम से राशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या का अनुपात गिरना राज्य के लिए चिन्ता का कारण है। कतिपय जनपदों में इस अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट विशेष चिन्ता जनक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नन्दादेवी कन्याधन योजना का विशेष महत्व है। राज्य में इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, किशोरी शक्ति योजना सहित विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। राज्य के समस्त जनपदों में वनज पखवाड़ा चलाया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य के 13020 अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित कर जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऐसे बच्चों के व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाते हुए चाइल्ड ट्रेनिंग प्रारम्भ की गयी है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और दुर्व्यवहार रोकने के लिये निर्भया योजना प्रारम्भिक चरण में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल में क्रियान्वित की गयी है। उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन (TNA) सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा रहा है। देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल निर्माण की व्यवस्था भी की गयी है।

वर्ष 2014–15 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु लगभग ₹ 312.65 करोड़ का प्रावधान है।

जलागम :

राज्य की विशिष्ट भौगोलिक एवं पर्यावरणीय प्रास्थिति के परिपेक्ष्य में जलागम प्रबन्ध आधारित प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति आदि का संवर्धन एवं संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आजीविका की व्यवस्था करना उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपाय है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) के द्वितीय चरण हेतु विश्व बैंक से लगभग 121 मिलियन अमेरिकी डालर के वित्त पोषण पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो गयी है तथा शीघ्र ही वित्त पोषण प्रारम्भ होना सम्भावित है। इस योजना से राज्य में 509 ग्राम पंचायतें आच्छादित होंगी। योजनान्तर्गत 1066 राजस्व ग्रामों के लगभग 55600 परिवार लाभान्वित होंगे। जलागम प्रबन्ध निदेशालय के द्वारा आई0एफ0ए0डी0 (इण्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट) वित्त पोषित समेकित आजीविका सहयोग परियोजना फेज–2 भी संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में जलागम प्रबन्धन योजनाओं हेतु ₹ 113.98 करोड़ का प्रावधान है।

वन एवं पर्यावरण :

उत्तराखण्ड के शीर्ष पर स्थित हिमालय पर्वतमाला उत्तर भारत का जल स्तम्भ है जिस पर देश की लगभग पचास करोड़ जनसंख्या की आर्थिकी एवं जीवनयापन निर्भर है। देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के हित में यहाँ के वनों एवं जैव विविधता को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, साथ ही प्रदेश की विकास आवश्यकताओं को भी सम्यक् रूप से पूर्ति करने की चुनौती हम सबके समक्ष है। वर्ष 2013–14 के वृक्षारोपण के कुल लक्ष्य 19920 हैक्टेयर के सापेक्ष माह नवम्बर 2013 तक 20328 हैक्टेयर में वृक्षारोपण सम्पन्न किया जा चुका है। जापान सरकार द्वारा पोषित जायका परियोजना का प्रोजेक्ट, भारत सरकार द्वारा पोषित ग्रीनिंग इण्डिया मिशन योजना के अन्तर्गत ब्रिज प्लान बनाकर भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

कैम्पा के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में वन एवं पर्यावरण कार्यो हेतु लगभग ₹ 526.29 करोड़ का प्रावधान है।

कृषि :

प्रदेश की भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। राज्य गठन के समय प्रदेश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 16 लाख 47 हजार मैट्रिक टन था जो वर्ष 2012–13 में बढ़कर 18 लाख 28 हजार मैट्रिक टन के स्तर पर पहुँच गया है। वर्ष 2014–15 के लिए 19.20 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश की मुख्य फसलों गेहूँ व चावल की उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावनाओं के दृष्टिगत "नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन" के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। मक्का, मडुवा एवं गेहूँ की पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार सुनिश्चित करने एवं कुपोषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार एवं टिहरी में पायलेट स्कीम ऑन न्यूट्रीफार्म योजना संचालित है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने तथा जैविक उत्पादों का विपणन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ही चिन्हित गाँवों व विकास खण्डों को जैविक कृषि से पूर्णतः संतृप्तीकरण करने हेतु योजना अनुमोदित हुई है। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण मिशन योजना लागू की गयी है।

वर्ष 2014–15 हेतु कृषि विभाग के अन्तर्गत ₹ 394.26 करोड़ का प्रावधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग :

राज्य में क्रमशः ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून जनपदों में गन्ने की खेती की जाती है। ऊधमसिंह नगर में 5, हरिद्वार जनपद में 03 व देहरादून जनपद में 01 चीनी मिल अवस्थित है। देश में वर्तमान चीनी स्टॉक की उपलब्धता तथा चीनी के बाजार मूल्य के साथ–साथ राज्य में गन्ना से चीनी रिकवरी की मात्रा के परिप्रेक्ष्य में चीनी मिलों के समक्ष यह वर्ष चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। केन्द्र सरकार द्वारा किसान हित में गन्ना मूल्य भुगतान हेतु स्वीकृत की गयी ऋण योजना का लाभ प्राप्त करते हुए एवं केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जा रहे कदमों से यह आशा है कि चीनी मिलें किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से कर सकेंगी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग अन्तर्गत कुल ₹ 24.15 करोड़ का प्रावधान है।

औद्यानिकी :

उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 6315.50 हजार हैक्टेयर है जिसमें लगभग 781.29 हजार हैक्टेयर भू–भाग कृषि के अन्तर्गत है। फलभूमि एवं सब्जियों के अन्तर्गत कुल 302.70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिये सरकार द्वारा कृषकों को फल पौध रोपण सामग्री, सब्जी पौध/बीज, आलू बीज, पौध सुरक्षा, रसायन, औद्यानिक संयंत्र, मसाला बीज आदि निवेशों पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उत्तराखण्ड में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास व निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय का कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण तथा नर्सरी उत्पादन व प्रचार प्रसार के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में औद्यानिक विभाग हेतु ₹ 130.21 करोड़ का प्रावधान है।

पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

प्रदेश की कुल 51 लाख पशु सम्पदा व 26 लाख कुक्कुट सम्पदा को रोग मुक्ति तथा रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने, कार्यक्रमों का प्रसार एवं विस्तार करने, ग्रामीण क्षेत्रों के लघु सीमान्त, भूमिहीन एवं निर्बल वर्ग के लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन जहाँ एक ओर आजीविका की दृष्टि से उपयोगी है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित दर पर उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए इनका महत्व है। प्रदेश में 3782 दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन 1.43 लाख लीटर दुग्ध संग्रह किया जा रहा है जिसके सापेक्ष लगभग ₹ 8 करोड़ प्रतिमाह का भुगतान दुग्ध उत्पादकों को किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित पशु आहार निर्माणशाला के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को रियायती दरों पर पशु आहार, कॉम्पैक्ट फीड व मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 में पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन हेतु ₹ 162.04 करोड़ का प्रावधान है।

सहकारिता :

सहकारिता का दृष्टिकोण राज्य के विभिन्न अंचलों के निर्बल वर्गों को समृद्धशाली बनाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, 758 पैक्स एवं 4 शीर्ष सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना, सहकारी क्रय विक्रय योजना व सहकारी उपभोक्ता योजना, सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार योजना, उर्वरक परिवहन पर राज सहायता, पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिये निक्षेप गारन्टी योजना, राज्य सहकारी परिषद् हेतु वित्तीय सहायता, फॉस्फोटिक उर्वरक क्रय हेतु यू0सी0एफ0 को वित्तीय सहायता आदि कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सहकारिता विभाग हेतु वित्तीय वर्ष हेतु 2014–15 में ₹ 50.08 करोड़ का प्रावधान है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

अपर्याप्त चिकित्सकीय स्टॉफ सहित विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा कम जनसंख्या घनत्व वाली बिखरी आबादी होने के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सम्बन्धी सेवाएँ व सुविधाएँ प्रदान करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। इन परिस्थितियों में सरकार राज्य की जनता के समग्र स्वास्थ्य रक्षा के साथ–साथ शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्युदर कम करने तथा प्राकृतिक दैवीय आपदा से निपटने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में राज्य के असेवित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अति आधुनिक उपकरणों से युक्त सचल चिकित्सा वाहनों का संचालन पी0पी0पी0 मोड में किया जा रहा है। बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में कार्डियोलॉजी यूनिट, दून चिकित्सालय, देहरादून में एम0आर0आइ0 मशीन आदि कई सेवाएँ सफलतापूर्वक पी0पी0पी0 मोड में संचालित की जा रही हैं तथा 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी पी0पी0पी0 मोड में संचालित करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त राज्य में एच0आइ0वी0 मुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 27 लाइसेन्स प्राप्त रक्त लैब क्रियाशील हैं। दून अस्पताल तथा बेस अस्पताल हल्द्वानी में न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, प्लास्टिक सर्जन, यूरोलाजिस्ट तथा कार्डियोलाजिस्ट के पाँच–पाँच सुपर स्पेशलिस्ट पद स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं। उत्तरकाशी में जिला महिला चिकित्सालय तथा ऋषिकेश में रक्त कोष हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है। दून अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गयी है।

वैकल्पिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी पद्धति की सेवाएँ जनता को प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2014–15 में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा आयुष में ₹ 1014.74 करोड़ का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा :

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों सहित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर स्थापित हैं। अल्मोड़ा एवं देहरादून के मेडिकल कालेज को शीघ्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं चमोली में नर्सिंग कालेज की स्थापना प्रस्तावित है। इसी प्रकार राज्य में भारत सरकार की सहायता से 07 जी0एन0एम0 स्कूल एवं 06 ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है।

राज्य में चिकित्सा शिक्षा को गति प्रदान करने एवं विनियमित व पर्यवेक्षण करने हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2014–15 में चिकित्सा शिक्षा हेतु ₹ 408.18 करोड़ का प्रावधान है।

विद्यालयी शिक्षा :

राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं में शाला त्याग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किये जाने तथा माध्यमिक स्तर तक अध्ययन पूर्ण करने हेतु बालिका प्रोत्साहन (साईकिल योजना) लागू की गयी है। आगामी वर्ष में योजना से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप ₹ 22.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा को रोजगारपरक बनाये जाने हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 राजकीय विद्यालयों में आई0टी0 तथा ऑटो मोबाइल टैक्नोलॉजी के व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

पाँच राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को पी0पी0पी0 मोड में संचालित किये जाने हेतु व्यवहारिक अन्तर्वित्तपोषण (बायविलिटी गैप फन्डिंग) के लिये नियोजन विभाग के अधीन की गयी बजट व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राविधानित है।

राज्य में केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा का पुनर्गठन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का यू0जी0सी0 पैटर्न पर गठन किया गया है व राज्य में स्थित तीन जिला संसाधन केन्द्रों को उच्चीकृत किया गया है।

वर्ष 2014–15 में विद्यालयी शिक्षा हेतु ₹ 4551.94 करोड़ का प्रावधान है।

उच्च शिक्षा :

उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदेश के दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये महाविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं। इन महाविद्यालयों में भवन निर्माण सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) को राज्य में अपनाने की स्वीकृति दे दी गई है और यह आशा है कि इस क्रम में राज्य में उच्च शिक्षा को उत्प्रेरण तथा सम्बल प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 313.97 करोड़ का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण :

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का रोजगार के बेहतर अवसरों का सृजन एवं कौशल विकास के विशेष महत्व को देखते हुए सरकार राज्य के पॉलिटेक्निक व आई0टी0आई0 संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयासरत है। इस दिशा में वर्ष 2013–14 में राज्य के 12 स्थानों में नये पॉलिटेक्निक खोले गये। नव सृजित व पूर्व से सृजित पॉलिटेक्निकों हेतु पदों का सृजन प्रस्तावित है। राज्य के 14 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में ई–लर्निंग केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

विगत एक वर्ष में 16 नये आई0टी0आई0 स्वीकृत किये गये हैं। नव सृजित आई0टी0आई0 बड़ावे (पिथौरागढ़) सहित इन संस्थानों में विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग हेतु ₹ 196.43 करोड़ का प्रावधान है।

कला एवं संस्कृति :

उत्तराखण्ड की अमूल्य ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–संवर्द्धन एवं विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के गाँव बुधाणी, जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित पैतृक आवास को हेरिटेज भवन के रूप में संरक्षित कर इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देहरादून में राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं सभागार का निर्माण कर इसे हिमालय सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। महान विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की स्मृति अक्षुण्य बनाये रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के लोक संगीत की विभिन्न विधाओं, विलुप्तप्राय लोकवाद्यों के सरंक्षण–संवर्द्धन हेतु गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मूर्धन्य/लोक कलाकारों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोककला के संवाहक हैं, की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे लेखक व कवि जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती हैं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2014–15 में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत ₹ 39.37 करोड़ का प्रावधान है।

संस्कृत शिक्षा :

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन व समृद्ध भाषाओं में से एक है। देवभूमि उत्तराखण्ड में संस्कृत विभाग के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी संचालित है। वर्तमान में 06 राजकीय संस्कृत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल 90 संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय संचालित हैं।

खेल एवं युवा कल्याण :

खेलों के उन्नयन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उच्च स्तरीय खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने को राज्य सरकार प्रयासरत है। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज परिसर, रायपुर, देहरादून में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं खेल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है और एथेलिटिक्स ग्राउण्ड में सिंथेटिक

ट्रैक एवं बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण प्रगति पर है। हल्द्वानी में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों द्वारा उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने के फलस्वरूप देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में ₹ 136.72 करोड़ का प्रावधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने की भूमिका निभाता है। राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रसार–प्रचार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य के साथ–साथ "देवभूमि सन्देश" मासिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

विकास कार्यों के सफल संचालन, सरकार की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुँचाने हेतु मीडिया से पर्याप्त संवाद एवं समन्वय स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 38.50 करोड़ का प्रावधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

प्रदेश में अपराधों के रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बलों की क्षमता वृद्धि एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के "पुलिस बल आधुनिकीकरण" योजना अन्तर्गत उपकरण–शस्त्र क्रय, वाहन क्रय, कर्मचारियों की आवासीय सुविधा, सीमावर्ती जनपदों व अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर थानों व चौकियों की स्थापना की जा रही है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेट डिजास्टर रिसपोन्स फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) की 6 वाहिनियाँ स्थापित की जा रही हैं।

देहरादून में नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

वर्ष 2014–15 में पुलिस विभाग हेतु ₹ 1153.87 करोड़ तथा होमगार्ड हेतु ₹ 42.85 करोड़ का प्रावधान है।

राजस्व :

राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन, अनुसूचित जाति/जनजाति, विस्थापित व समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों को वर्ग-4 की भूमियों के विनियमितिकरण की दूरगामी पहल की गयी है। राज्य में बिखरी हुई जोतों को एकत्र कर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की कार्यवाही गतिमान है। भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण व डिजिटाइजेशन के लिए तथा भूमि-अभिलेख कार्यक्रम के सुव्यवस्थित संचालन हेतु परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया गया है। छोटी प्रशासनिक इकाईयों की मांग के दृष्टिगत राज्य में विगत समय नई तहसीलें सृजित की गयी हैं।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में ₹ 298.50 करोड़ का प्रावधान है।

आपदा प्रबन्धन :

जून, 2013 में राज्य में आयी अप्रत्याशित दैवीय आपदा के उपरान्त सभी प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को पर्याप्त एवं त्वरित राहत देने का प्रयास किया गया। इस क्रम में विभिन्न मदों में राहत राशि में वृद्धि करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से कहीं अधिक राहत सहित कई नयी मदों में राहत राशि की व्यवस्था की गयी। भवन को मानक मानने के बजाय भवन में रहने वाले परिवारों को राहत राशि के लिये इकाई माना गया एवं क्षतिग्रस्त भवन में रह रहे प्रत्येक परिवार को राहत राशि अनुमन्य की गयी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के भवन आंशिक या पूर्ण रूप से सरकारी भूमि पर भी अनाधिकृत रूप से बने थे, उन्हें भी ₹ 01 लाख की सहायता राशि प्रदान की गयी है। इसी प्रकार प्रभावित परिवारों को पालतू पशुओं, कृषि भूमि एवं व्यवसायों के लिए भी बढ़ी हुई राहत राशि की व्यवस्था की गयी। राज्य में पर्यटन एक प्रमुख व्यवसाय होने के कारण होटल, ढाबा, दुकान एवं घराट जैसे छोटे व्यवसायों के लिए प्रथमबार सरकार द्वारा राहत राशि प्रदान की गयी। ऋणों की वसूली स्थगित की गयी तथा विद्युत एवं जल मूल्य को माफ किया गया। प्रत्येक बेघर परिवार को किराये के भवनों में रहने हेतु 3 हजार प्रतिमाह किराया प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। आपदा प्रभावित परिवारों के आवासों के पुनर्निर्माण के लिए पारदर्शी आवास नीति जारी की गयी है।

भविष्य में सम्भावित आपदाओं में क्षतियों को न्यून किये जाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन बल की एक बटालियन हरिद्वार में स्थापित करने की कार्यवाही कर दी गयी है तथा राज्य आपदा प्रतिवादन बल का गठन किया गया है। नदी श्रेणी की भूमि पर निर्माण कार्यों को प्रतिबन्धित किया गया है तथा एक्टिव फ्लड जोन के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2014–15 में आपदा प्रबन्धन पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना पैकेज अन्तर्गत एस0पी0ए0 तथा नई वाह्य सहायतित योजनाओं सहित आपदा प्रबन्धन के लिये ₹ 1693.48 करोड़ का प्रावधान है।

पंचायती राज :

भारतीय संविधान के प्रावधानानुसार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्व–शासन को सुदृढ़ व सबल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं सहित केन्द्र पोषित बी0आर0जी0एफ0 योजना एवं राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2014–15 में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹ 82.48 करोड़ का प्रावधान है।

ग्राम्य विकास :

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तथा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा आवास योजना एवं ग्रामीण संयोजिता हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का क्रियान्वयन राज्य में सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

सीमान्त क्षेत्र के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत पाँच सीमान्त जनपदों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित हैं।

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में ₹ 993.05 करोड़ का प्रावधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन अनुरक्षण करने तथा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं व सुविधाओं का पर्यवेक्षण करने के साथ–साथ नागरिकों में वैज्ञानिक समझ व रूचि बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर अर्थात उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के माध्यम से विभिन्न कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा 16–17 जून, 2013 को आयी आपदा के उपरान्त रेपिड डेमेज सर्वे के अध्ययन में विश्व बैंक को भी सहयोग प्रदान किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी :

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक को विभिन्न सेवाएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में मिशन मोड परियोजनाओं के अन्तर्गत विभागों का कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, नेशनल ई–गवर्नेन्स कार्यक्रम, ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, आदि संचालित की जा रही हैं। ई–टेण्डरिंग का और सुदृढ़ीकरण व विस्तार किया गया है।

पर्यटन :

राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार सृजन में पर्यटन का विशेष महत्व है। राज्य में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत सरकार उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। दुर्भाग्य से वर्ष, 2013 की अप्रत्याशित आपदा से हमारे इस प्रयास को झटका पहुँचा है परन्तु हम पुनः खड़ा होने के लिए कमर कस चुके हैं और इस हेतु आपदा पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण अन्तर्गत स्वीकृत विशेष आपदा पैकेज अन्तर्गत राज्य को लगभग ₹ 662 करोड़ का वित्त पोषण 2013–14 से 2015–16 की तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त होगा। यह व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र हेतु प्रस्तावित सामान्य बजट के अतिरिक्त होगी। टिहरी झील को साहसिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित करने के लिये राजीव गांधी एडवेंचर अकादमी का शिलान्यास किया गया है। विभिन्न पर्यटन स्थलों के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य से टूरिज्म एरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अनुदान राशि को 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10 लाख से बढ़ाकर 33 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15 लाख किया गया है। अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक कुल 251 बेरोजगारों को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना द्वारा लाभाविन्त किया गया है। वर्ष 2014–15 में 500 उद्यमियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत जानकी चट्टी–यमुनोत्री तथा ठुलीगाड़–पूर्णागिरी रोपवे परियोजनाएँ पी0पी0पी0 मोड पर क्रियान्वित करवायी जा रही हैं। "हुनर से रोजगार" योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है।

पयर्टन गतिविधियों हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 165.26 करोड़ का प्रावधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

भारत सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का शुभारम्भ उत्तराखण्ड राज्य में किया जा चुका है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में प्रचलित बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न पूर्व की भाँति उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ताओं की खाद्यान्न सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में "खाद्य सुरक्षा आयोग" का गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यरत है तथा कन्ज्यूमर हेल्पलाइन की स्थापना की जा रही है।

राज्य में जून, 2013 में आयी भीषण आपदा के परिणामस्वरूप आपदा प्रभावित जिलों में यथाशीघ्र खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी एवं आपदा से प्रभावित कट ऑफ ग्रामों में निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी गयी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये इसका कम्प्यूटरीकरण किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु वर्ष 2014–15 में लगभग ₹ 233.12 करोड़ का प्रावधान है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

प्रदेश में कुल 3287 कारखाने स्थापित हैं, जिनमें लगभग चार लाख श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिकों के हितों का संरक्षण, सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण, बाल श्रम उन्मूलन आदि हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। बाल श्रमिक उन्मूलन योजना अन्तर्गत बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण का कार्य निरन्तर जारी रखा गया है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। श्रमिकों के हित को सुनिश्चित करने हेतु श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है जिसका प्रयोग श्रमिकों के कल्याणार्थ किया जायेगा।

राष्ट्रीय बाल श्रमनीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन0सी0एल0पी0) के अन्तर्गत लिया गया है। प्रदेश में महिला कार्यकारों को शोषण से बचाने हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है।

राज्य सेवायोजन कार्यालयों को ऑनलाइन किये जाने का कार्य गतिमान है। बेरोजगार युवाओं को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 24 सेवायोजन कार्यालय/कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र स्थापित हैं।

औद्योगिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तारीकरण करते हुए 11 नये स्थानों क्रमशः डोईवाला, लालतप्पड़ एवं आई0टी0पार्क–देहरादून, लक्सर, आई0पी0फार–हरिद्वार, खटीमा, कोटद्वार, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं हल्द्वानी में औषधालयों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत ₹ 193.53 करोड़ का प्रावधान है।

नियोजन :

क्षेत्रीय एवं कार्य स्तर पर संतुलित विकास के साथ समग्र विकास हेतु राज्य सरकार नियोजन विभाग के माध्यम से योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण, अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रयासरत है। राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2013–14 की गहन समीक्षा एवं सतत् अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप दिसम्बर, 2013 तक जारी ₹ 5166 करोड़ वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष ₹ 3368 करोड़ का व्यय हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुई प्रगति से बेहतर है। प्राकृतिक आपदा से हुई व्यापक क्षति से उबरने हेतु पुनर्वास एवं पुनःनिर्माण योजना की संरचना, अनुमोदन एवं अनुश्रवण हेतु नियोजन विभाग का योगदान महत्वपूर्ण है।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभिन्न विषयों के उद्देश्यों का सर्वेक्षण एवं अध्ययनों के माध्यम से राज्य की प्रभावी नियोजन प्रणाली हेतु प्राइमरी तथा सेकेण्डरी आंकड़ों का संग्रह व संकलन कर विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य में प्रस्तावित विकास कार्यों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापरक बनाये जाने तथा पूर्व प्रचलित निविदा प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के दृष्टिगत ₹ 01 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों की निविदायें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं।

मान्यवर,

अब, मैं, वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वर्ष 2014–15 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 29825.16 करोड़ अनुमानित हैं जिसमें ₹ 24474.46 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 5350.70 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष, 2014–15 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹ 12157.26 करोड़ है जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 4134.00 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹ 9830.72 करोड़ में कर राजस्व ₹ 8023.26 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 1807.46 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2014–15 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 1757.79 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 2947.93 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग ₹ 8538.11 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग ₹ 655.84 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 2424.48 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2014–15 में कुल व्यय ₹ 30353.78 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 23792.03 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 6561.75 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय में ₹ 11677.23 करोड़ आयोजनागत एवं ₹ 18676.55 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ₹ 6877.47 करोड़ आयोजनागत पक्ष एवं ₹ 16914.56 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूँजीगत व्यय में ₹ 4799.76 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं ₹ 1761.99 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ₹ 29825.16 करोड़ में कुल व्यय ₹ 30353.78 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2014–15 में ₹ 528.62 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि ₹ 682.43 करोड़ का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) सम्भावित है जबकि ₹ 4075.83 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2014–15 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 400 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2014–15 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ₹ 35.09 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् अन्तिम शेष ₹ 23.53 करोड़ ऋणात्मक रहना अनुमानित है।]

मान्यवर, अन्त में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिये आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है, उसके लिये मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। मैं राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

इत्यैषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्कर–पादयोः।

अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां में सदाशिवाः।।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

शेष बजट भाषण यथावत् पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री चन्दन राम दास तथा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की कुल 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 गैड़खाल के निर्माणाधीन भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो जनपद बागेश्वर में ए0डी0बी0 द्वारा 02 वर्ष के अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड पाटी में ग्राम रीठा से ग्राम टाँण तक सड़क निर्माण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित जनता को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह फर्त्याल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–2 में कुलियालगाँव से साल मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिस पर ग्राम टाँण भी स्थित है। मार्ग निर्माण से समरेखण में प्रभावित भूमि, बगीचों एवं मकानों के प्रतिकर के प्रस्ताव मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर स्थल की वास्तविक स्थिति के आधार पर तैयार करने का कार्य खण्ड स्तर पर गतिमान है। यह भी अवगत कराना है कि खण्ड में अमीनों की कमी के कारण मुआवजे का प्रकरण तैयार करने में विलम्ब हुआ है। अतः मुआवजे के भुगतान शीघ्र कर दिये जायेंगे।]

विधान सभा क्षेत्र–भीमताल के विकास खण्ड धारी के ग्राम धानाचूली में विगत कई वर्षों से लिफ्ट पेयजल योजना की मांग के उपरान्त भी पेयजल योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में श्री दान सिंह भण्डारी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड धारी के ग्राम धानाचूली में पेयजल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत धानाचूली ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना अनुमानित लागत ₹ 284.02 लाख का आगणन तैयार किया गया है। उक्त योजना से 02 ग्राम पंचायतों की 11 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

योजना के अन्तर्गत भनुआखाल गदेरे पर फ्रेंच वैल स्थापित कर 80 मि0मी0 व्यास की ग्रेविटी मेन से पानी 75 कि0ली0 क्षमता के पम्प में एकत्र करते हुए पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना को प्रमुख सचिव पेयजल की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय योजना चयन समिति की बैठक दिनांक 28–01–2014 में एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किया गया है।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 04 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक: 06 फरवरी, 2014

जगदीश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–13 पर)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में उच्चीकृत किये गये राजकीय जूनियर हाईस्कूल का वर्षवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	विकास खण्ड	उच्चीकृत विद्यालय
1	2	3	4
		2009–10	
1.	पिथौरागढ़	विण	रा0उ0मा0वि0 नैनीसैंनी
2.	पिथौरागढ़	विण	रा0उ0मा0वि0 बजेठी
		2010–11	
1.	पिथौरागढ़	कनालीछिना	रा0उ0मा0वि0 न्वाली
2.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0उ0मा0वि0 हररकटिया
3.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0उ0मा0वि0 जाराजिबली
4.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 सेरा
5.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 बुई
6.	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0उ0मा0वि0 चौसाला
		2011–12	
1.	पिथौरागढ़	विण	रा0उ0मा0वि0 गोगना
2.	पिथौरागढ़	विण	रा0उ0मा0वि0 भल्या
3.	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0उ0मा0वि0 मड़
4.	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0उ0मा0वि0 घुर्चू
5.	पिथौरागढ़	मूनाकोट	रा0उ0मा0वि0 तड़ेमियां
6.	पिथौरागढ़	कनालीछिना	रा0उ0मा0वि0 जमतड़ी कूटा
7.	पिथौरागढ़	कनालीछिना	रा0उ0मा0वि0 बारमौ
8.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0उ0मा0वि0 तोली
9.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0उ0मा0वि0 मेतली
10.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0उ0मा0वि0 कनार

1	2	3	4
11.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0उ0मा0वि0 किरौली
12.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0उ0मा0वि0 सानदेव
13.	पिथौरागढ़	डीडीहाट	रा0उ0मा0वि0 रानीखेत
14.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 समकोट
15.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 नामिक
16.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 सैलमाली
17.	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0उ0मा0वि0 गडतिर
18.	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0उ0मा0वि0 सुकल्याड़ी
19.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0मा0वि0 बुशैल
20.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0मा0वि0 नाली–वेल
21.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0उ0मा0वि0 बटगेरी
22.	पिथौरागढ़	मुन्स्यारी	रा0उ0मा0वि0 सैणराथी

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधान सभा/35–27–05–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।